राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 24 दिसम्बर, 2009 / 3 पौष, 1931

हिमाचल प्रदेश सरकार

मत्स्यपालन विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 23 दिसम्बर, 2009

संख्या फिश–ए(3)15 / 2001.–हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तकु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग में फार्म सहायक, वर्ग–III (अराजपत्रित), के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**–(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग फार्म सहायक, वर्ग–III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 है ।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. निरसन और व्यावृत्तियां.–(i) अधिसूचना संख्या मत्स्य–ख (2)–1 / 83 तारीख 13–03–1986 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग के फार्म सहायक (तृतीय श्रेणी अराजपत्रित) के भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1986 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है ।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त उप–नियम (1) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई, इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ता / –
प्रधान सचिव।

————————

उपाबन्ध–क

हिमाचल प्रदेश मत्स्य पालन विभाग, में फार्म सहायक वर्ग–III (अराजपत्रित) के पद के भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.–**फार्म सहायक

2. **पदों की संख्या.–**7 (सात)

3. **वर्गीकरण.–**वर्ग–**III** (अराजपत्रित) अलिपिकीय सेवाएं ।

4. **वेतनमान.–** (i) नियमित पदधारियों के लिए वेतनमान 3120–100–3220–110–3660–120–4260– 140–4400–150–5000– 160.5160

(ii) संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों के लिए उपलब्धियां : 4680 / –रूपए (स्तम्भ 15–क में दिए गए व्यौरे के अनुसार)

5. **चयन अथवा अचयन पद.–**अचयन पद

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.–**18 से 45 वर्ष ।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर, नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन–जातियों / अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी, जितनी हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेशों के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु की सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सैक्टर निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारिवृंद को नहीं दी जाएगी जो पश्चातवर्ती ऐसे निगमों/स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे/किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों/स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात ऐसे निगमों/स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गये हैं/किए गये थे ।

1. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना, उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें पद(पदों) को आवेदन आमन्त्रित के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है।

2. अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.—(क) **अनिवार्यः—(**1) मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से दस जमा दो की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए या इसके समतुल्य।

(ख) वांछनीय अर्हता.—हिमाचल प्रदेश की रूढियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता ।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताए प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं.—आयु : लागू नहीं । **शैक्षिक अर्हता** : जैसी नीचे स्तम्भ संख्या 11 में प्रावधित हैं ।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

10. भर्ती की पद्धति—भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.—यथास्थिति शत—प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर । संविदा पर नियुक्त कर्मचारी, को स्तम्भ 15—क में दी गई उपलब्धियां प्राप्त करेंगे और तथाकथित स्तम्भ में विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों द्वारा विनियमित होंगे।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड), जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जाएगा.—क्षेत्रीय सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा, जो दसवीं पास हों और जिनका दस वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके दस वर्ष का संयुक्त नियमित सेवाकाल हो :

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में पद(पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (I) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा, जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो :

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों/कर्मचारियों का, जिन्होंने जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I.—उपर्युक्त परन्तकु (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय/दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण II.—उपर्युक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन हेतु जनजातीय/दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होगे :—

1. जिला लाहौल एवं स्पिति ।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप—मण्डल ।
3. रोहडू उपमण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र ।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना ।
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उपमण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
7. जिला किन्नौर ।
8. सिरमौर जिला में उपतहसील कमरउ के काठवाड. और कोरगा पटवार वृत्त रेणुकाजी तहसील के भलाड़—भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खनयोल बगड़ा पटवार वृत, बाली चोकी उपतहसील के गाडा़ गुसैणी, मठियानी, घनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पद्दर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामण, देवगढ़, ट्राईला, रोपा, कथोग ,सिलह भडवानी, हस्तपुर, घमरेहर, और भटेड़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील में चिउणी, कालीपर, मानगढ, थाच—बागड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत और मण्डी जिला की सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक(पोषक)पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात की गई थी । परन्तु यह कि उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त उपवन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने—अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे;

परन्तु उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और कि जहां कोई व्यक्ति पुर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

स्पष्टीकरण.—अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे, यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज

परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नौन–टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज,1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स–सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूल्ज, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति / प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.–जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए ।

13. भर्ती करने में, जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.–जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. सीधी भर्ती के लिए अपेक्षा.–किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना आवश्यक है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.–सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समाचीन समझें, तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, जिसका स्तर / पाठयक्रम, यथास्थिति, आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

15–क संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.–इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी पद पर संविदा नियुक्तियां, नीचे दिए गए निबधनों और शर्तों के अध्यधीन की जाएंगी :–

(I) संकल्पना.–(क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश मत्स्य पालन विभाग, में फार्म सहायक को संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा, जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर बढ़ाया जा सकेगा ।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के कार्यक्षेत्र में आना.–निदेशक, मत्स्यपालन रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के समक्ष रखेगा ।

(ग) चयन, इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां.–संविदा के आधार पर नियुक्त फार्म सहायक को 4,680 / – रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा महगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढौतरी की जाती है तो पश्चातवर्ती वर्ष(वर्षों) के लिए संविदात्मक उपलबिधयों में 100 / – रूपए की रकम (वेतनमान के न्यूनूतम / प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि) के बराबर वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात की जाएगी।

(III) नियुक्ति / अनुशासन प्राधिकारी निदेशक, मत्स्यपालन, हिमाचल प्रदेश नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा ।

(IV) चयन प्रकिया.—संविदा नियुक्ति की दशा में पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाए तो लिखित परीक्षा या व्यवहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर/पाठयक्रम सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति.—जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण, अर्थात हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा समय–समय पर गठित की जाए ।

(VI) करार.—अभ्यर्थी को, चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–"ख" क` अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा ।

(VII) निबन्धन और शर्तें.—(क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 4680/– रूपए की नियत संविदात्मक रकम (जो प्रारम्भिक वेतनमान जमा महंगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति आगे बढ़ाए गए वर्ष/वर्षों के लिए संविदात्मक रकम में 100/– रूपए (पद के वेतनमान के न्यूनतम/प्रारम्भिक आरम्भ में वार्षिक वृद्धि के बराबर) की वृद्धि का हकदार होगा और अन्य कोई सहबद्ध प्रसुविधाएं, जैसे वरिष्ठ/चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा ।

(ख) संविदा पर नियुक्त फार्म सहायक की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य/आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी।

(ग) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा । वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा/होगी । केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा ।

(घ) नियंत्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए किसी संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

(ङ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(च) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी/रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना अरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा । बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बनी रहेगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी/व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(छ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का, यदि अपने पदीय कर्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है, यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का हकदार होगा ।

(ज) नियमित कर्मचारियों की दशा में यथा लागू सेवा नियमों के उपबंध जैसे एफ.आर.एस.आर., छूट्टी नियम, साधारण भविष्य निधि नियम, पैंशन नियम तथा आचरण नियम इत्यादि संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों की दशा में लागू नहीं होंगे ? वे इस स्तम्भ में यथावर्णित उपलब्धियों आदि के लिए हकदार होंगे।

16. आरक्षण.—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश द्वारा समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन–जातियों/पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।

17. शिथिल करने की शक्ति.—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समाचीन है, वहां यह, कारणों को अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेशों द्वारा, इन नियमों के किन्ही उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बावत, शिथिल कर सकेगी ।

————

उपाबन्ध—ख

फार्म सहायक और हिमाचल प्रदेश सरकार के मध्य निदेशक एवं प्रारक्षी, मत्स्य पालन के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा / करार का प्ररूप

यह करार श्री / श्रीमति.....पुत्र / .पुत्री श्री.....निवासी..... .....संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य, निदेशक एवं प्रारक्षी, मत्स्यपालन हिमाचल प्रदेश, (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... को किया गया ।

द्वितीय पक्षकार ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने फार्म सहायक के रूप में संविदा के आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी हैः—

1. यह कि प्रथम पक्षकार फार्म सहायक के रूप में .....से प्रारम्भ होने और.....को समाप्त होने वाले दिन तक, एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस को अर्थात.....दिन को स्वयंमेव ही पर्यवसित (समाप्त) समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम 4680 / — रूपए प्रतिमास होगी ।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा पूर्णतयः अस्थाई आधार पर होगी । यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है तो नियुक्ति पर्यवसित (समाप्त) की जाने के लिए दायी होगी ।

4 संविदा पर नियुक्त फार्म सहायक, एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा । यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा । संविदा पर नियुक्त फार्म सहायक को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिक्त्सा प्रतिपूर्ति और एल.टी.सी. इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा / होगी । केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा ।

5. नियंत्रक अधिकारी के अनूमोदन के बिना कर्तव्यों से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का पर्यावसान (समापन) हो जाएगा । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्तव्य (डयूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा ।

6. संविदा के आधार पर नियुक्त फार्म सहायक का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा म ें अनुज्ञात नहीं होगा ।

7. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा । महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव

होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी । महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए ।

8. संविदा पर नियुक्त फार्म सहायक को यदि अपने पदीय कर्त्तव्य के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर जैसी नियमित फार्म सहायक को लागू है, यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी ।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति(यों) को सामूहिक बीमा योजना के साथ–साथ इ.पी.एफ. / जी.पी.एफ. भी लागू नहीं होगा ।

इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार व द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए है।

साक्षियों की उपस्थिति में
1.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)
2.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर

साक्षियों की उपस्थिति में
1.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)
2.....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर

———————

[Authoritative English text of Government Notification No. Fish-A(3)-15/2001 dated 23th 12-2009, as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

DEPARTMENT OF FISHERIES

NOTIFICATION

Shimla-2, the 23rd - Dec., 2009

No. Fish-A(3)-15/2001.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H.P.Public Service Commission, is pleased to make the Recruitment and Promotion Rules for the post of Farm Assistant, Class-III (Non-Gazetted) in the Department of Fisheires, H.P. as per Annexure-A, namely :—

1. Short title and Commencement. (i) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Fisheries,Farm Assistant, Class- III(Non- Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 2009.

(ii) These rules shall come into force from the date of their publication in Rajpatra, HP.

2. Repeal and Savings.—(i) The Himachal Pradesh Fisheries Department's Farm Assistant, Class-III (Non-Gazetted) Recruitment and Promotion Rules, 1986, notified vide Notification No. Matasaya-Kha (2)-1/83, dated 13.03.1986 are hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule (i) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary.

———

Annexure-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF FARM ASSISTANT IN THE DEPARTMENT OF FISHERIES

1. Name of the post.— Farm Assistant

2. Number of posts.— 7 (Seven)

3. Classification.— Class-III (Non-Gazzetted)

Non- Ministerial Services

4. Pay Scale.— (i) Pay Scale for regular incumbents 3120-100-3220-110-3660- 120-4260-140-4400-150-5000-160-5160

(ii) Emoluments for Contract employees Rs. 4680/-(as per details given in col. 15-A).

5. Whether selection post or Non-Selection post.— Non-selection.

6. Age for direct recruitment.— Between 18 years and 45 Years

Provided that the upper age limit for direct recruits will not be applicable to the candidates already in service of the government including those who have been appointed on adhoc or on contract basis;

Provided further that if a candidate appointed on adhoc basis had become overage on the date when he was appointed as such he shall not be eligible for any relaxation in the prescribed age limit by virtue of his adhoc or contract appointment;

Provided further that upper age limit is relaxable for Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other categories of person to the extent permissible under the general or special order(s) of the Himachal Pradesh Government;

Provided further that employees of all the Public Sector Corporations/and Autonomous Bodies who happened to be government servants before absorption in Public Sector Corporations/Autonomous Bodies at the time of initial constitutions of such Corporations/Autonomous Bodies shall be allowed age concession in direct recruitment as admissible to government servants. This concession will not, however, be admissible to such staff of the Public Sector Corporations/Autonomous Bodies who were/are subsequently appointed by such Corporations/Autonomous Bodies and who are/were finally absorbed in the service of such Corporations/Autonomous Bodies after initial constitution of the Public Sector Corporations/ Autonomous Bodies.

(1) Age limit for direct recruitment will be reckoned on the first day of the year in which the post(s) is/are advertised for inviting applications or notified to the Employment Exchange.

(2) Age and experience in the case of direct recruitment relaxable at the discretion of the Himachal Pradesh Public Service Commission in case the candidate is otherwise well qualified.

7. Minimum Educational and other qualification required for direct recruits.—(a) ESSENTIAL.—Should have passed 10+2 examination or its equivalent from a recognized Board/University

(**b) DESIRABLE QUALIFICATION.—**Knowledge of customs, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointment in the peculiar conditions prevailing in the Pradesh.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.—Age : No

Educational Qualification.— As prescribed in Col.No. 11 below.

9. Period of probation, if any.—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.—100% promotion failing which by direct recruitment on regular basis or on contract basis as the case may be. The contract employees will get emoluments as given in Col. 15-A and will be governed by service conditions as specified in the said rules.

11. In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/ transfer is to be made.—By promotion from amongst the Field Assistants who are Matriculate and also possess ten years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered if any, in the grade.

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/ difficult areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso(I)supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that Officers/Officials who have not served atleast one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I.— For the purpose of proviso I supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II.— For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:—

1. **District Lahaul & Spiti**

2. **Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.**

3. **Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.**

4. **Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.**

5. **Pandrah Bis Pargana of Kullu District.**

6. **Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.**

7. **District Kinnaur.**

8. **Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.**

9. **Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gad-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali Chowki Sub Tehsil Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Bawara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.**

In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post , if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment /promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment and Promotions Rules, provided that:—

(i) in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service on adhoc basis followed by regular service/ appointment in the feeder post in view of the provisions referred to above all persons senior to him in the respective category/ post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided that all incumbents to be considered for promotions shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the Post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non- Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service. If the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of Recruitment and Promotion Rules;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a departmental promotion committee, exists, what is its composition.—As may be constituted by the Government from time to time.

13. Circumstances under which the HP PSC is to be consulted in making recruitments.—As required under the Law.

14. Essential requirement for a direct recruitment.—A candidate for appointment to any service or post must be 'a Citizen of India'.

15. Selection for appointment to post by direct recruitment.—Selection for appointment to the post in the case of direct recruitment shall be made in the basis of viva-voce test in HP PSC or other recruiting authority as the case may be so consider necessary or expedient by a written test or practical test the standard/ syllabus, etc. of which will be determined by the Commission or other recruiting authority as the case may be.

15-A Selection for appointment to the post by contract appointment.— Notwithstanding anything contained in these rules, contract appointments to the post will be made subject to the terms and conditions given below:—

(I) CONCEPT.—(a) Under this policy, the Farm Assistant in the Department of Fisheries, H.P. will be engaged on contract basis initially for one year, which may be extendable on year to year basis.

(b) **POST FALLS WITHIN THE PURVIEW OF HPSSSB.—**The Director, Fisheries after obtaining the approval of the Government to fill up the vacant posts on contract basis will place the requisition with the concerned recruiting agency i.e. H.P. Subordinate Services Selection Board.

(c) The selection will be made in accordance with the eligibility conditions as prescribed in these Rules.

(II) CONTRACTUAL EMOLUMENTS.—The Farm Assistant on contract basis will be paid consolidated fixed contractual amount @ Rs 4680/- P.M.(which shall be equal to initial of the pay scale+Dearness pay). An amount of Rs 100/-(equal to annual increase in the minimum/initial start of the pay scale of the post) as annual increase in contractual emoluments for the subsequent year(s) will be allowed if contract is extended beyond one year.

(III) APPOINTING /DISCIPLINARY AUTHORITY.—Director of Fisheries H.P. will be appointing and disciplinary authority.

(IV) SELECTION PROCESS.—Selection for appointment to the post in the case of Contract Appointment will be made on the basis of viva-voce test or if considered necessary or expedient by a written test or practical test the standard/syllabus etc. of which will be determined by the concerned recruiting agency i.e. H.P.S.S.S.B.

(V) COMMITTEE FOR SELECTION OF CONTRACTUAL APPOINTMENTS.— As may be constituted by the concerned recruiting agency i.e. the H.P.S.S.S.B. from time to time.

(VI) **AGREEMENT.—**After selection of a candidate, he/she shall sign an agreement as per Annexure-B appended to these Rules.

(VII) TERMS AND CONDITIONS.—(a) The contract appointee will be paid fixed contractual amount @ Rs. 4680/- per month(which shall be equal to initial of the pay scale + dearness pay). The Contract Appointee will be entitled for increase in contractual amount @ Rs. 100/-(equal to annual increase in the minimum initial start of the pay scale of the post) for further extended years and no other allied benefits such as senior/selection scales etc. shall be given .

(b) The service of the Contract appointee will be purely on temporary basis. The appointment is liable to be terminated in case the performance/ conduct of the contract appointee is not found satisfactory.

(c) Contract appointee will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No. leave of any other kind is admissible to the contract appointee. He/she shall not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. only maternity leave will be given as per Rules.

(d) Unauthorized absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. Contract appointee shall not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

(e) Transfer of a contract appointee will not be permitted from one place to another in any case.

(f) Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. Women candidate pregnant beyond twelve weeks will stand temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate will be re-examined for fitness from an authorized Medical officer/Practitioner.

(g) Contract appointee will be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his/her official duties at the same rate as applicable to regular officials at the minimum of the pay scale.

(h) Provisions of service rules like FR SR,Leave Rules, GPF Rules, Pension Rules & Conduct Rules etc. as are applicable in case of regular employees will not be applicable in case of contract appointees. They will be entitled for emoluments etc. as detailed in this Column.

16. Reservation.— The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Backward Classes/other categories of persons issued by the HP Government from time to time.

17. Power to relax.— Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order, for reasons, to be recorded in writing and in consultation with the HP PSC, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

———

Annexure-B

Form of contract/agreement to be executed between the Farm Assistant & the Government of Himachal Pradesh through Director-cum-Warden of Fisheries

This agreement is made on this …….. day of ……. in the year…….. between Sh/Smt. ……S/o/D/oShri….……R/o…… ……., contract appointee (here-in-after called theFIRST PARTY), AND The Governor, Himachal Pradesh through Director-cum-Warden of Fisheries Himachal Pradesh (here-in-after the SECOND PARTY).Whereas, the SECOND PARTY has engaged the aforesaid FIRST PARTY and the FIRST PARTY has agreed to serve as a Farm Assistant on contract basis on the following terms & conditions:—

1. That the FIRST PARTY shall remain in the service of the SECOND PARTY as a Farm Assistant for a period of 1 year commencing on day of …… and ending on the day of ……. It is specifically mentioned and agreed upon by both the parties that the contract of the FIRST PARTY with SECOND PARTY shall ipso-facto stand terminated on the last working day i.e. on …….. and information notice shall not be necessary.

2. The contractual amount of the FIRST PARTY will be Rs. 4680/- P.M.

3. The service of FIRST PARTY will be purely on temporary basis. Theappointment is liable to be terminated in case the performance/conduct of the contract appointee is not found good.

4. Contractual Farm Assistant will be entitled for one day casual leave after putting one month service. This leave can be accumulated upto one year. No leave of any kind is admissible to the contractual Farm Assistant. He will not be entitled for Medical Reimbursement and LTC etc. Only maternity leave will be given as per Rules.

5. Unathorised absence from the duty without the approval of the controlling officer shall automatically lead to the termination of the contract. A contractual Farm

Assistant will not be entitled for contractual amount for the period of absence from duty.

6. Transfer of a Farm Assistant apponted on contract basis will not be permitted from one place to another in any case.

7. Selected candidate will have to submit a certificate of his/her fitness from a Government/Registered Medical Practitioner. In case of women candidates pregnancy beyond tweleve weeks will render her temporarily unfit till the confinement is over. The women candidate should be reexamined for fitness from an authorized Medical Officer/ practitioner.

8. Contract Farm Assistant shall be entitled to TA/DA if required to go on tour in connection with his official duties at the same rate as applicable to regular Farm Assistant.

9. The Employees Group Insurance Scheme will not be applicable to the contractual appointee (s) as well as EPF/GPF.

IN WITNESS the FIRST PARTY AND SECOND PARTY have herein to set their hands the day, month and year first, above written.

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. …….
……..
…….
(Name and Full Address)

(Signature of the FIRST PARTY)

2. …….
……..
…….
(Name and Full Address)

IN THE PRESENCE OF WITNESS:

1. …….
……..
…….
(Name and Full Address)

(Signature of the SECOND PARTY)

2. …….
……..
…….
(Name and Full Address)

उद्योग विभाग

भौमिकीय शाखा

No. Udyog-Bhu(Khani-4)Laghu-92/2002-10456 Dated: 23.12.2009

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिला कांगड़ा की लघु खनिज खानों की नीलामी दो चरणों में क्रमश: दिनांक 27–01–2010 को प्रात: 11.00 बजे (उपमण्डल धर्मशाला, कांगडा, देहरा, ज्वाली व नूरपुर में पड़ने वाली उत्खनियों) तथा दिनांक 28–01–2010 को प्रात: 11.00 बजे (उपमण्डल पालमपुर, बैजनाथ व जयसिंहपुर में पड़ने वाली उत्खनियों) निर्धारित की गई है । नीलामी जिला परिषद हॉल, धर्मशाला जिला कांगड़ा में सम्पन्न की जायेगी । इच्छुक व्यक्ति खानों के पूर्ण विवरण/शर्तों तथा खानों से सम्बन्धित अन्य जानकारी के लिए खनि अधिकारी कांगड़ा स्थित धर्मशाला से किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क करें या विभागीय Website www.himachal.nic.in/industry पर पूर्ण विवरण प्राप्त करें। लघु खनिज खानों जैसे रेत, पत्थर व बजरी की नीलामी 3 वर्ष के लिए वार्षिक बोली के आधार पर की जायेगी परन्तु खानों की बोली की स्वीकृति बोली राशि प्राप्ति के आधार पर प्रदेश सरकार की निम्नलिखित नीति के अनुसार प्रदान की जाएगी ।

1– जहां बोली पिछली बोली से 50 प्रतिशत से अधिक प्राप्त होती है –3 वर्ष

2– जहां बोली पिछली बोली से 20 से 50 प्रतिशत अधिक प्राप्त होती है –1 वर्ष

3– जहां बोली पिछली बोली से अधिक आती है पर 20 प्रतिशत से कम हो –3 माह

Department of Industries
Geological Wing

Auction Notice

It is for the information of general public that the minor mineral quarries of District Kangra are being put to public auction on 27.01.2010 at 11-00 A.M. (Minor Mineral Quarries falling in Sub Divisions, Dharamshala, Kangra, Dehra, Jawali and Nurpur) and on 28.01.2010 at 11.A.M. (Minor Mineral Quarries falling in Sub Divisions, Palampur, Baijnath & Jaisinghpur) in the Hall of Zila Parishad Dharamshala, Distt. Kangra, H.P. The interested persons may contact the Mining Officer, Kangra at Dharamshala for detailed information/terms and conditions of the auction on any working day or the same can be downloaded from the Department **website www.himachal.nic.in/industry**. The auction of minor mineral quarries of Sand, Stone and Bajri shall be conducted for 3 years but approval of the bid shall be on the basis of the bid received as per State Govt. Policy given below:-

1. Where the bid exceeds the previous bid by more than 50% - 3 years
2. Where the bid exceeds the previous bid by more than 20% but does not exceed the previous bid by more than 50% - 1 year
3. Where the bid is more than previous bid but does not exceed more than 20%. - 3 months

*****

जिला कांगड़ा की लघु खनिज खानों का नीलामी प्रस्ताव

क0 सं0	खडड का नाम	नीलामी का क्षेत्र	लधु खनिज का नाम
उपमण्डल धर्मशाला:			
1	बनेर खड्ड–1	चामुण्डा माता मन्दिर से 500 मीटर नीचे की ओर छोड़कर बनेर व इकू खडड के संगम तक	रेत, बजरी व पत्थर
2	मनूनी खडड–1	स्पन पाईप फैक्टरी सुक्कड़ से 100 मीटर नीचे की ओर छोड़ कर छियारी व मनूनी खडड के संगम तक	–यथो–
3	मनूनी खडड– ।।	मन्दल पुल से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़कर नीचले व उपरले कोहाला गांव को जोड़ने वाले पैदल पुल तक	–यथो–
4	माझी खडड–1	निर्माणाधीन खन्यारा पुल से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़कर माझी खडड पर बने दाड़ी पुल से 300 मी0 उपर तक ।	–यथो–
5	माझी खडड– ।।	माझी खडड पर बने पुल से 500 मी0 नीचे की ओर छोड़कर गांव पासू को जाने वाले पैदल पुल शीला तक ।	–यथो–
उपमण्डल कांगड़ा :			
6.	बनेर खडड– ।।	इकू व बनेर खडड के संगम से नीचे की ओर बलधर साड़क पर बने पुल से 200 मी0 उपर तक ।	–यथो–
7	बनेर खडड– ।।।	बलधर साड़क पर बने पुल से 300 मी0 नीचे की ओर छोड़ते हुए सुनेहड़ के समीप राष्ट्रीय मार्ग पर बने पुल से 300 मी0 उपर तक ।	–यथो–
8	बनेर खडड–4	सुनेहड़ गांव के पास राष्ट्रीय मार्ग पर बने पुल से 300 मी0 नीचे की ओर छोड़कर टांडा मैडीकल कालेज को बनी W.S.S से 300 मी0 उपर तक ।	–यथो–
9	बनेर खडड–5	कांगड़ा मन्दिर रेलवे स्टेशन के पास बने पैदल चलने वाले पुल से नीचे की ओर बृजेशवरी घाट तक ।	–यथो–
10	बनेर खडड–6	जलाडी W.S.S से 300 मी0 नीचे की ओर छोड़कर जलाडी व खर्ट गांव को जोड़ने वाले प्रस्तावित पुल से 200 मी0 उपर तक ।	–यथो–
11	जोगल खडड(मसल)	मैडी गांव से नीचे की ओर मसाल रोड़ पर बने पुल से 200 मी0 उपर तक	–यथो–
12	वाथू खडड बॅदू	मालनू–नेरा–ठम्बा W.S.S से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़ते हुए लूहना–रीहड़ी के प्रस्तावित पुल तक ।	–यथो–
13	नेढ़ेली खडड	बलोल(डेगर लाहड़) W.S.S से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़कर नढ़ेली खडड पर बने पुल तक	–यथो–
14	मनूनी खडड– ।।।	सागीरपुर गांव के पास माझी खडड पर बने पुल से 300 मी0 नीचे की ओर छोड़कर नन्दरूल पुल तक ।	–यथो–

15	गज खडड– I	श्री विजय कुमार के खनन क्षेत्र को छोड़कर W.S.S स्पेल(कलरू) से 200 मी0 उपर तक	–यथो–
16	गज खडड– II	गज खडड व चम्बी खडड के संगम से नीचे की ओर बल्ला गांव के पास गजखडड पर बने पुल से 200 मी0 उपर तक ।	–यथो–
17	ढूँ खडड (मोल)	तंगरोटी शमशान घाट से 100 मी0 नीचे की ओर छोड़कर पंजबुली तक ।	–यथो–
उपमण्डल पालमपुर :			
18	बनेर खडड	बनेर खडड पर बने आदि हिमानी सेतू से 500 मी0 नीचे की ओर छोड़कर धर्मशाला– पालमपुर सड़क पर बने पुल से 200 मी0 उपर तक ।	–यथो–
19	लिगंटी खडड	नगरी–बगौड़ा पुल से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़कर लटवाला पुल से 200 मी0 उपर तक ।	–यथो–
20	आवा खडड– I(बनोडू)	चन्दपुर से आवा खडड पर बने बनोडू पुल से 200 मी0 उपर तक ।	–यथो–
21	आवा खडड– II	बनोडू पुल से नीचे की ओर 200 मी0 छोड़कर आवा खडड पर बने पुल चथम्गी से 200 मी0 तक ।	–यथो–
22	आवा खडड– III	चथम्गी पुल से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़कर नागटा पुल से 200 मी0 उपर तक ।	–यथो–
23	आवा खडड– IV	नागटा पुल से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़कर रकक्ड़ पुल से 200 मी0 उपर तक	–यथो–
24	आवा खडड–V	रक्कड़ पुल से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़कर रजोट गांव के पास बने पुल से 200 मी0 उपर तक ।	–यथो–
25	आवा खडड– VI	राजोट पुल से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़कर बिनवा व आवा खडड के संगम तक ।	–यथो–
26	मौल खडड– I	साई गोरला गांव से नीचे की ओर भोड़ा पुल के 200 मी0 तक ।	–यथो–
27	मौल खड– II	भोड़ा पुल से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़कर चांदड़ होला पुल के 200 मी0 उपर तक ।	–यथो–
28	मौल खडड– III	चांदड़ होला पुल से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़कर ढाटी पुल के 200 मी0 उपर तक ।	–यथो–
29	मौल खडड– IV	भनू W.S.S से 300मी0 नीचे की ओर छोड़कर मौल खड्ड पर प्रस्तावित बन्द्रांहू बैर घट्टा पुल से 200 मी0 उपर तक ।	–यथो–
30	जमेड़ खडड	ठरकेहड से नीचे की तरफ चौकी जनेड़ खडड पर बने पुल से 200 मी0 उपर तक	–यथो–
31	बोखड्डी(सुकाड)	सकट गांव से नीचे की तरफ क्यारवां बोखड्डी खडड में निर्माणाधीन पुल से 200 मी0 उपर तक।	–यथो–

उपमण्डल जयसिंहपुरः			
32	मंद खडड(भटवारा)	मंद खडड व सुकाड खडड के संगम से नीचे की ओर तलवाड़ पुल से 200 मी0 उपर तक	–यथो–
33	सुकाड खडड–।	द्रमण पुल से 200 मी0 नीचे की ओर नालना पुल से 200 मी0 उपर तक ।	–यथो–
34	सुकाड खडड–।।	नलना पुल से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़कर भटवारा पुल से 200 मी0 उपर तक ।	–यथो–
35	ब्यास नदी–1	हारसीपतन से चम्बी तक (श्री बलवीर सिंह का खनन पटटा क्षेत्र छोड़कर)	–यथो–
36	ब्यास नदी–2	कुटाहन से नीचे की ओर हरोटी खडड व ब्यास नदी के संगम तक ।	–यथो–
37	ब्यास नदी–3(लम्बा गांव)	ब्यास नदी व हरोटी खडड के संगम से दसलूं गांव तक ।	–यथो–
38	ब्यास नदी–4(आलमपुर)	सकोह गांव से आलमपुर सुजानपुर पुल से 200 मी0 उपर तक ।	–यथो–
39	हरोटी खडड(हरोट)	हड़ोट पुल से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़कर हरोटी पुल से 200 मी0 उपर तक ।	–यथो–
उपमण्डल बैजनाथः			
40	पुन खडड–।	बीथी खडड व पुन खडड के संगम से नीचे की ओर पुन खडड पर बने पुल से 200 मी0 उपर तक ।	–यथो–
41	पुन खडड–।।	पुन खडड पुल से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़कर बिनवा व पुन खडड के संगम तक	–यथो–
42	सान्साल खडड	सान्साल बीड़ रोड़ पुल से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़कर निर्माणा धीन विद्युत प्रोजैक्ट से 500 मी0 उपर तक ।	–यथो–
43	भटवाली खउड	भटट गांव के पास बने रेलवे पुल से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़कर भटवाली पुल से 200 मी0 उपर तक ।	–यथो–
44	बिनवा खडड–।	फताहर गांव को जोड़ने वाले पैदल चलने वाले पुल से 100 मी0 नीचे की ओर छोड़कर कयोग चश्मे तक ।	–यथो–
45	बिनवा खडड–।।	रेलवे पुल पपरोला से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़कर बिनवा व पुन खडड के संगम तक ।	–यथो–
46	बिनवा खडड–।।।	पुन व बिनवा खडड के संगम से नीचे की ओर आवा खडड व बिनवा खडड के संगम तक ।	–यथो–
47	बिनवा खडड–IV	वावा काठक से नीचे की तरफ चौबू पुल से 200 मी0 उपर तक ।	–यथो–
48	बिनवा खडड– V	श्री सुशील कुमार के खनन पटटा क्षेत्र को छोड़कर ग्वाल पुल से 200 मी0 उपर तक।	–यथो–

49	बिनवा खडड– VI	ग्वाल पुल से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़कर डन्ढोल पुल से 200 मी0 उपर तक।	–यथो–
50	बिनवा खडड–VII	डन्ढोल पुल से भड़ोल से 200 –200 मी0 छोड़कर जिला कांगड़ा का क्षेत्र।	–यथो–
51	बिनवा खडड–VIII	सान्साई से ब्यास व बिनवा खडड के संगम तक जिला कांगड़ा का क्षेत्र।	–यथो–
उपमण्डल देहराः			
52	बनेर खडड	विपल से नीचे की ओर हरीपुर वासा गांव तक।	–यथो–
53	नकेड़ खडड–।	लगडू गांव से लेकर वालू गलोआ पुल से 300 मी0 उपर की तरफ।	–यथो–
54	नकेड़ खडड–II	सलेहड़ गांव से मरेहड़ा गांव पुल के उपर की ओर 200 मी0 छोड़कर।	–यथो–
55	नकेड़ खडड–।।।	मरेहड़ा पुल से नीचे की ओर 200 मी0 छोड़कर ज्वालाजी, देहरा मार्ग पर बने पुल से 200 मी0 उपर की तरफ ।	–यथो–
56	ब्यास नदी भरोड़ी–।	भड़ोली ब्यास नदी पर बने पुल से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़कर कुटियारा गांव की W.S.S से 200 मी0 उपर तक (दांया किनारा)।	–यथो–
57	ब्यास नदी–।।	कुटियारा गांव की W.S.S से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़कर अधवानी गांव की अग्रिम सीमा तक (दांया किनारा)।	–यथो–
58	ब्यास नदी–।।।(चामुखा)	मसेह खडड व ब्यास नदी के संगम से नीचे की ओर नीचले कूहला की अग्रिम सीमा तक ब्यास नदी का (बांया किनारा)।	–यथो–
59	कलोहा	कलोहा पुल से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़कर सडंवा गांव की अन्तिम सीमा तक ।	–यथो–
60	नक्की खडड	लग वटयाणा से लेकर परागपुर गरली साड़क पर बने काजवे से 200 मी0 ऊपर तक।	–यथो–
61	कड़ोआ खडड	कड़ोआ गांव से नीचे की ओर जबंल वसी सुनेहत सड़क से 100 मी0 उपर की तरफ ।	–यथो–
62	बढल–ढौर खड्ड	बैढोटां गांव से लेकर जवंल वसी मार्ग से 100 मी0 उपर तक ।	–यथो–
63	चनौर खड्ड	बाथू टिप्परी से नीचे की ओर जवंल वसी ढाडा–सिवा मार्ग से उपर की ओर ।	–यथो–
उपमण्डल नूरपुरः			
64	जब्बर खड्ड	कोवड़ा गांव से नीचे की ओर नागाबाड़ी पुल तक श्री आर.के.महाजन का खनन पट्टा क्षेत्र छोडकर ।	–यथो–
65	हरड़ खड्ड	W.S.S खज़न से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़कर लेतरी गांव के पास पैदल चलने वाली पुली तक ।	–यथो–
66	गरेली खड्ड	वासा गांव पुल से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़कर जसूर पुल से 200 मी0 उपर तक ।	–यथो–

उपमण्डल ज्वालीः

67	वराहल खड्ड(भाली)	बराहल खड्ड पर बने पुल से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़कर हनुमान मन्दिर त्रिलोकपुर में बराहल खड्ड व डेहर खडड के संगम तक ।	–यथो–
68	भेड़ खडड	भेड़ खड्ड राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर बने पुल से नीचे की ओर 200 मी0 छोड़कर डेहर खड्ड व भेड़ खडड के संगम तक ।	–यथो–
69	देहर खड्ड–1	श्रीयुत शिवशक्ति स्टोनक्रशर के नाम स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र की अग्रिम सीमा से नीचे की ओर सिद्वाती नहर के डैम से 500 मी0 उपर तक ।	–यथो–
70	देहर खड्ड–।।	सिद्वार्ता नहर के डैम से 500 मी0 नीचे की ओर छोड़कर कुठेड़ ज्वाली मार्ग पर बने पुल से 200 मीटर उपर व नीचे छोड़कर श्री जितेन्द्र गुलेरिया के नाम पूर्व स्वीकृत खनन पटटा क्षेत्र की सीमा तक ।	–यथो–
71	देहर खडड–।।।	देहर खडड ज्वाली पर बने रेलवे पुल से नीचे की ओर 200 मी0 क्षेत्र व श्री त्रिलोक सिंह व श्रीमति मीना कुमारी के नाम स्वीकृत खनन पटटा क्षेत्र को छोड़कर पोंग डैम की सीमा तक।	–यथो–
72	जखवड़ खड्ड	रे–बड़ूखर सड़क पर जखबड़ खडड पर बने पुल से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़कर जखवड़ खडड व ब्यास नदी के संगम तक ।	
73	ब्यास नदी टटवाली (दांया किनारा)	किश्ती पतन रे से नीचे की ओर शाह नहर से 200 मी0 उपर तक ।	
74	राजगीर खड्ड	बड़ूखर–इन्दौरा सड़क के राजगीर खडड पर बने पुल से 200 मी0 नीचे की ओर छोड़कर राजगीर खडड व व्यास नदी के संगम तक ।	

नीलामी निम्नलिखित शर्तो के आधार पर की जाएगी।

1– नीलामी के नियम व शर्ते हिमाचल प्रदेश लघु खनिज रियायत संशोधित नियमावली, 1971 के अनुसार नीलामी स्थल पर उद्घोषित की जाएगी।

2– बोली प्रतिवर्ष के आधार पर दी जाएगी ।

3– कोई भी व्यक्ति जो बोली देने के इच्छुक हो, पीठासीन अधिकारी के पास 5000/–रूपये धरोहर राशि अग्रिम रूप में जमा करवाएगा, जो बोली समाप्त होने पर बोलीदाताओं को वापिस कर दी जाएगी। नीलामी कमेटी किसी विशेष परिस्थिति में धरोहर राशि बढ़ा सकती है।

4– यदि कोई बोलीदाता किसी लघु खनिज खान की बोली दें, परन्तु वांछित राशि उसी समय जमा न करें या बोली देने के उपरान्त भाग जाये, उस स्थिति में उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर धन राशि जब्त की जायेगी और भविष्य में कम से कम 3 वर्ष के लिए प्रदेश में किसी भी स्थान पर ऐसा व्यक्ति बोली न दे सकेगा तथा उसी समय उक्त उत्खनी को पुनः नीलाम कर दिया जाएगा।

5– जिन खानों को नीलामी हेतू अधिसूचित किया गया है उनके खसरा नं0 या फिर सीमा चिन्हों की जानकारी, इच्छुक व्यक्ति/बोलीदाता सम्बन्धित खनि अधिकारी से प्राप्त कर सकता है। बोली केवल उसी क्षेत्र की होगी, जो कि खनि अधिकारी ने प्रस्तावित किये हैं जिसका पूर्ण विवरण खनि अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

6– नदी/खड्डों की नीलामी प्राकृतिक व अन्य चिन्हों के आधार पर की गई है तथा नदी/खड्ड का वह क्षेत्र इन्हीं चिन्हों के मध्य ही नीलामी के लिए, जहाँ है जैसा है के आधार पर इस शर्त पर प्रस्तावित किया गया है कि अगर प्रस्तावित चिन्हों के मध्य में कोई वन भूमि है तो प्रार्थी को वन विभाग का अन्नापति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। इसके अतिरिक्त यदि प्रस्तावित चिन्हों के मध्य किसी व्यक्ति की नीजि भूमि आती हो तो उच्चतम बोलीदाता को उपरोक्त क्षेत्र में खनन करने के लिए प्रवेश करने से पूर्व नीजि भूमि मालिक से अन्नापति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। यदि कोई नीजि भूमि मालिक उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त किसी अन्य के पक्ष में अन्नापति प्रमाण पत्र देता है तो वह अन्नापति मान्य नहीं होगी, और नीजि भूमि मालिक को उस क्षेत्र में खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि ऐसे समस्त निलाम क्षेत्र के खनिज अधिकार उच्चतम बोली दाता के पक्ष में दिए गये हैं ।

7– बोलीदाता, बोली देने से पहले यदि चाहे तो वे अपने हित में सूचि में अधिसूचित खानों का निरीक्षण कर सकते है ।

8– पीठासीन अधिकारी को अधिकार दिये गये है कि वह राजस्व एवम् जनहित में विभिन्न खानों का एक समूह या एक खान के छोटे–छोटे भाग बिना बताये कर सकता है। इसमें सभी इच्छुक बोलीदाता के सुझाव लिए जा सकते हैं ।

9– बोलीदाता किसी भी जिला में खनन से सम्बन्धित देय राशि का बकायादार नही होना चाहिए। यदि कोई बोलीदाता जो विभाग के बकायादार होने में दोषी पाया जाये तो उसे नीलामी में भाग लेने की अनुमति नही दी जायेगी। यदि बकायादार, नीलामी के मध्य बकाया राशि को जमा कर दें तो उस अवस्था में वह नीलामी में भाग ले सकेगा। यदि कोई बकायादार व्यक्ति कोई खान बोली पर ले लेता है, जिसका विभाग को बाद में ज्ञान हो जाए तो उस अवस्था में उस व्यक्ति द्वारा जमा राशि बकाया राशि में समायोजित की जाएगी और खान को पुनः नीलाम किया जाएगा ।

10– रेत, पत्थर व बजरी आदि की लघु खनिज खानों की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होगी तथा स्लेट खानों के मामले में अधिकतम अवधि 5 वर्ष होगी।

11– उत्खनी के बोली समाप्त होते ही वांच्छित राशि उच्चतम बोली दाता को पीठासीन अधिकारी के पास निम्न तरीकों से जमा करनी होगी । (i) जहां पर बोली राशि 1000/–रूपये प्रतिवर्ष की दर से अधिक होगी उस अवस्था में उच्च बोलीदाता बोली की 25 प्रतिशत राशि प्रतिभूति राशि के तौर पर तथा बोली की 25 प्रतिशत राशि पहली किश्त के रूप में जमा करवायेगा। विक्री कर भी उक्त राशि के अतिरिक्त उसी समय जमा करवाना पड़ेगा। प्रतिभूति राशि

एफ0डी0आर के रूप में ली जाएगी । (ii) जहॉ बोली 1000/–रू0 से कम होगी वहॉ समस्त वार्षिक राशि एक मुश्त जमा करानी होगी तथा उसके अतिरिक्त 25 प्रतिशत प्रतिभूति राशि एवम् अन्य कर जमा कराने होंगे ।

12– सरकार को अधिकार है कि वे उच्चत्म बोली को बिना किसी कारण बताये स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।

13– सरकार को अधिकार है कि वे ठेके की अवधि बढ़ा या घटा सकती है।

14– कोई भी खनन कार्य राष्ट्रीय उच्च मार्ग राज्य मार्ग से 60 मी0 व लिंक रोड़ से 50 मी0 की दूरी तक नहीं किया जाएगा तथा अन्य शर्तें सरकार द्वारा दिनांक 28.2.2004 को अधिसूचित रिवर/स्ट्रीम वैड माईनिंग पॉलिसी के अनुरूप होगी। अधिसूचना की प्रति खनि अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है। नीलामी के मध्य नीलामी कमेटी यदि कोई अन्य शर्त उद्घोषित करे वह भी मान्य होगी ।

15– बोली के दौरान यदि कोई बोलीदाता दुर्व्यवहार करे तो पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उस द्वारा जमा की गई अग्रिम धरोहर राशि जब्त करते हुये उसे बोली में हिस्सा लेने के लिए आयोग्य घोषित कर सकता है।

16– बोली केवल उसी अवस्था में स्वीकार होगी यदि बोली की स्वीकृति सरकार या अन्य किसी दूसरे सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत कर ली जाती है । स्वीकृति तिथि तथा नीलामी तिथि के समय अवधि में उच्च बोलीदाता को, बोली के अनुपात में अतिरिक्त राशि जमा करवाने पर अल्प अवधि परमिट लेना होगा। यदि उच्च बोलीदाता परमिट न ले तो उस अवस्था में किसी दूसरे इच्छुक व्यक्ति को बोली के अनुपात में परमिट प्रदान किया जाएगा और बोलीदाता की उस पर कोई आपत्ति मान्य न होगी।

17– नीलामी के लिए अधिसूचित लघु खनिज़ खानों का क्षेत्र अधिसूचना में दर्शाया गया ही मान्य होगा। इसके अतिरिक्त खानों के स्थित नक्शे/राजस्व रिकार्ड जो सम्बन्धित खनि अधिकारी/ महाप्रबन्धक उद्योग केन्द्र के पास होंगे, उन पर दर्शाया गया क्षेत्र ही अधिसूचित लघु खनिज़ खानों का क्षेत्र मान्य होगा।

18– यदि नीलाम की गई लघु खनिज़ खानों का ठेका निलामी के समय चल रहा है तो निलाम की गई खान का कब्ज़ा उसी अवस्था में दिया जायगा जब वर्तमान ठेके की अवधि समाप्त होगी।

19– बोली में हिस्सा लेने वाले बोलीदाता, बोली के मध्य अपनी आपत्ति उठा सकते हैं। बोली समाप्त होने पर किसी प्रकार की आपत्ति पर सुनावाई नहीं की जाएगी।

20– सम्बन्धित ठेकेदार को हिमाचल प्रदेश लघु खनिज़ संशोधित नियमावली, 1971 के नियम–33 के अन्तर्गत स्वीकृति आदेश प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के भीतर शर्तनामें पर हस्ताक्षर करने होंगे। यदि शर्तनामे पर हस्ताक्षर करने में ठेकेदार उस अवधि के मध्य असफल रहे, तो उस अवस्था में ठेका रद्द समझा जाएगा तथा उस द्वारा जमा करवाई गई प्रतिभूति राशि एवं अग्रिम किश्त की राशि जब्त कर ली जाएगी।

21– जहॉ–जहॉ भी स्पेन द्वारा खनिज़ों की ढुलाई करने की आवश्यकता हो उस अवस्था में स्पेन का अलाईनमैंट को ठेकेदार द्वारा विभाग से अनुमोदित करवाना आवश्यक होगा तथा स्पेन रंगीन रंग से चिन्हित करना होगा ताकि वह दूर से नज़र आये। जहॉ आवश्यकता हो, इसकी अनुमति वन विभाग से लेनी पड़ेगी। इसके लिए बने अधिनियम के प्रावधानों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा।

22– खनन कार्य यदि वैज्ञानिक व सुव्यवस्थित (खनन मापदण्डों के अनुरूप) ढंग से नहीं किया गया तो उस अवस्था में ठेका रद्व कर दिया जाएगा तथा धरोहर राशि सरकार में समायोजित कर ली जाएगी ।

23– पर्यावरण के हित में जहॉ सम्भव हो या विभाग द्वारा दर्शाया जाये वहां ठेकेदार द्वारा पौधारोपण व अन्य भू–स्खलन को रोकने के लिए Engineering Structure लगाने होंगे तथा ऐसा न करने पर विभाग द्वारा जमानत राशि से यह काम कराया जाएगा तथा ठेकेदार को उतनी मात्रा की अलग से जमानत राशि जमा करानी होगी ।

24– उक्त के अतिरिक्त विभाग के किसी अधिकारी द्वारा यदि कोई शर्तें पर्यावरण के संतुलन हेतू लगाई जाएं तो ठेकेदार उनको मानने के लिए वाध्य होगा।

25– उच्चतम बोलीदाता सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित् किए गए विक्री कर व अन्य कर देने के लिए वाध्य होगा।

26– नीलामी समिति को अधिकार है कि वे नीलामी के समय किसी विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग से शर्तें लगा सकते हें जो सभी बोलीदाताओं को मान्य होगी तथा नीलामी आरम्भ होने से पूर्व इनकी घोषणा की जाएगी इसके अतिरिक्त खानों के बारे जो दिशा निर्देश सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए जायेंगे वे भी सभी को मान्य होंगे।

27– नीलाम–शुदा क्षेत्र में उच्चतम बोलीदाता खनन करते हुए इस बात का पूर्ण ध्यान रखेगा कि उनके द्वारा किए गये खनन कार्य से भूमि कटाव न हो और नदी का वास्तविक बहाव न बदले। खडड्ों/नालों के तटट्ों को तोड़ना एक गम्भीर अपराध माना जाएगा तथा ऐसी अवस्था में ठेका रद्व कर दिया जाएगा तथा अमानत राशि सरकार में निहित कर ली जाएगी ।

28– जनहित में यदि आवश्यक हो तो किसी भी नीलाम की गई खान के भाग को कम किया जा सकता है या खान को पूर्णरूप से भी बन्द किया जा सकता है। क्षेत्र कम करने की अवस्था में रॉयल्टी भी उसी अनुपात में कम की जाएगी।

29– खनन हेतू मशीन उपकरण जैसे जे0सीबी0, पोकलेन इत्यादि का प्रयोग नियमानुसार निदेशक उद्योग हि0 प्र0 की पूर्व लिखित अनुमति से ही किया जा सकता है ।

30– उपरोक्त चिन्हों के मध्य खनन कार्य निम्नलिखित क्षेत्रों में वर्जित होगा:

- वन या किसी अन्य विभाग द्वारा भू–संरक्षण के लिए लगाये गए चैक डैम इत्यादि, पौधारोपण, नर्सरी इत्यादि से 75 मीटर की दूरी तक।
- नदी/खड्ड के तट से (दोनों तरफ) 5मीटर या फिर नदी/खड्ड की चौड़ाई का पांचवॉ हिस्सा जो भी अधिक हो, तक।
- पेयजल योजना या सिचाई योजना के 200 मीटर ऊपर व 200 मीटर नीचे तक के स्थल पर।
- पुल के 200 मीटर ऊपर व 200 से 500 मीटर नीचे तक।

31– नदी/खड्ड में पहुँचने के लिए मुख्य सड़क से रास्ता बनाने हेतू उच्चतम बोलीदाता को अधिशाषी अभियन्ता (लो0नि0वि0) से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

32– पत्थर व हाथ से तोड़ी गई रोड़ी को राज्य की सीमा से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

33– उच्चतम बोलीदाता को सुनिशिचत् करना होगा कि उसके द्वारा लगाए गये मज़दूर, नदी/खड्ड में मछलियों का शिकार न करें।

34– खनन कार्य नदी के धरातल से 3 फुट से अधिक गहराई में नहीं किया जाएगा, तथा किसी भी अवस्था में 3 फुट के गहरे गढढे करने की अनुमति नहीं होगी।

35– उप–मण्डल स्तर पर गठित कमेटी द्वारा हर वर्ष खनन कार्य का पुर्नरीक्षण(Review) किया जाएगा तथा अवव्यवस्थित खनन् करने पर ठेका रद्व कर दिया जायेगा तथा जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी ।

36– उप मण्डल स्तर पर गठित समिति द्वारा अनुमोदित क्षेत्र ही नीलाम किया जाएगा, जिसका विस्तृत रिकार्ड सम्बन्धित खनि अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध है ।

37– उत्खनियों की उच्चतम बोली के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा नीति निर्देशों के अनुसार मुल्यांकन करने पर ठेके की अवधी तय की जाएगी ।

38– यदि नीलामी के लिए प्रस्तावित की गई खड्ड का हिस्सा संयुक्त निरीक्षण कमेटी द्वारा खनन पट्टा प्रदान करने हेतू निलामी अधिसूचना जारी होने से पूर्व अनुमोदित किया जा चुका हो तो खड्ड का वह भाग अथवा क्षेत्र नीलामी क्षेत्र का भाग नहीं होगा । ऐसे क्षेत्रों बारे जानकारी खनि अधिकारी से नीलामी तिथि से पूर्व या नीलामी के समय प्राप्त की जा सकती है ।

39– नीलाम किये जा रहे क्षेत्रों में पत्थरों इत्यादि की तोड़ाई के लिए मारतोड़ (घण) व छैणी का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया जायेगा और केवल हाथों द्वारा उन्हीं खनिजों को उठाया जायेगा जोकि बहकर आये होंगे तथा नीलाम किए गये क्षेत्रों में भावी ठेकेदार खनन करने से पहले पूलों व सिंचाई स्कीमों से निर्धारित सुरक्षित दूरी रखकर सीमा स्तम्भ लगायेंगे जिसका सत्यापन विभागीय कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा ।

ब अदालत श्री जे0 आर0 भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सिहुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मि0 नं0 43–3–XIII-B / 09. तारीख पेशी : 22–1–2010.

श्री कपी उर्फ जीवन सिंह पुत्र श्री विशनू, निवासी गांव व डाकखाना परसियारा, उप–तहसील सिहुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि श्री कपी उर्फ जीवन सिंह पुत्र श्री विशनू पुत्र हुशयारा, निवासी गांव व डाकखाना परसियारा, उप–तहसील सिहुन्ता, जिला चम्बा ने इस अदालत में आवेदन–पत्र दिया है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड व स्कूल प्रमाण–पत्र में जीवन सिंह दर्ज है लेकिन राजस्व रिकार्ड में कपी दर्ज है। प्रार्थी अपने नाम की दरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः अग्रिम कार्यवाही से पहले सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस नाम कपी उर्फ जीवन सिंह पुत्र श्री विशनू पुत्र हुशयारा, निवासी गांव व पंचायत परसियारा को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 22–1–2010 को सुबह 10.00 बजे मौखिक या लिखित रूप में असालतन या वकालतन अपना एतराज पेश कर सकते हैं। यदि उपरोक्त दिनांक तक कोई उजर / एतराज पेश न हुआ तो यह समझा जाएगा कि उक्त नाम को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज नहीं है और नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 15–12–2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। जे0 आर0 भारद्वाज,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सिहुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

———————

ब अदालत श्री जे0 आर0 भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी सिहुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0 43–3–XIII-B / 09. तारीख पेशी : 22–1–2010.

श्री घनैइया लाल उर्फ काहन चन्द पुत्र श्री राम दयाल पुत्र श्री चेतू, निवासी गांव धनोट, मुहाल थूलेल, उप–तहसील सिहुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि श्री घनैइया लाल उर्फ काहन चन्द पुत्र श्री राम दयाल पुत्र श्री चेतू, निवासी गांव धनोट, मुहाल थूलेल, उप–तहसील सिहुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में आवेदन–पत्र दिया है कि उसका नाम पंचायत रिकार्ड में काहन चन्द दर्ज है जबकि राजस्व अभिलेख में उसका नाम घनैइया लाल दर्ज है। प्रार्थी अपने नाम की दरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः अग्रिम कार्यवाही से पहले सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस नाम घनैइया लाल उर्फ काहन चन्द पुत्र श्री राम दयाल पुत्र चेतू, निवासी गांव धनोट, मुहाल थुलेल को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 22–1–2010 को सुबह 10.00 बजे मौखिक या लिखित रूप में असालतन या वकालतन अपना एतराज पेश कर सकते हैं। यदि उपरोक्त दिनांक तक कोई उजर / एतराज पेश न हुआ तो यह समझा जाएगा कि उक्त नाम को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति नहीं है और नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 15–12–2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। जे0 आर0 भारद्वाज,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सिहुन्ता, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

———————

ब अदालत श्री वाई0 पी0 एस0 वर्मा, हि0 प्र0 से0, मैरिज ऑफिसर एवं उप–मण्डल दण्डाधिकारी, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री छांगू राम पुत्र श्री वख्शी राम, गांव झाडवीं, डा0 झाडवीं (लुदरमहादेव), तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

श्रीमती सावित्री देवी पुत्री श्री सोहन सिंह, गांव धमरोल, डा0 धमरोल, तहसील जोगिन्दरनगर, जिला मण्डी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र अधीन धारा 16 ऑफ स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत शादी पंजीकरण करने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा में श्री छांगू राम व सावित्री देवी ने दिनांक 27–10–2009 को हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार मन्दिर नवाही देवी में शादी कर ली है जिसे स्पैशल मैरिज ऐक्ट, 1954 के अन्तर्गत पंजीकृत किया जाना है।

अतः आम जनता एवं उनके रिश्तेदारों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त शादी पंजीकरण करने बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह अपना एतराज दिनांक 15–1–2010 को सुबह 10.00 बजे या इससे पहले असालतन या वकालतन हाजर अदालत होकर पेश करे अन्यथा शादी पंजीकरण करने बारे आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 14–12–2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर। वाई0 पी0 एस0 वर्मा,
मैरिज ऑफिसर एवं उप–मण्डल दण्डाधिकारी,
भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

———————

In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-*cum*-Sub Divisional Magistrate, Hamirpur, Himachal Pradesh

In the matter of :

1. Shri Balbir Singh aged 29 years s/o Shri Kanshi Ram, r/o Village Bhakeri, P. O. Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H. P.).

2. Sunita Devi aged 25 years d/o Shri Dharam Singh, r/o Village Kot, P. O.Kot, Mauza Bajuri, Tehsil & District Hamirpur (H. P.) . . *Applicants.*

Versus

General public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under Section 5 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Balbir Singh and Sunita Devi have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Special Marriage Act, 1954 in which they stated they intend to solemnize marriage within one months.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 27-1-2010. The objection received after 27-1-2010 will not entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 17-12-2009 under my hand and seal of the court.

Seal. PANKAJ RAI,
Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Hamirpur, District Hamirpur (H. P.).

ब अदालत श्री बी0 एस0 लगवाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

Shrimati Jangchup Dolma w/o Shri Dechen Dorgee, r/o Dege Division Bir, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Shrimati Jangchup Dolma w/o Shri Dechen Dorgee, r/o & P. O. Bir, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र Ngawang Lekdup का जन्म दिनांक 12–6–1992 को महाल बीड़ में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 18–1–2010 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 16–12–2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। बी0 एस0 लगवाल,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री बी0 एस0 लगवाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

Shrimati Jangchup Dolma w/o Shri Dechen Dorgee, r/o Dege Division Bir, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Shrimati Jangchup Dolma w/o Shri Dechen Dorgee, r/o Dege Division Bir, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री Jamyang Dechen का जन्म दिनांक 22–3–1995 को महाल बीड़ में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18–1–2010 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 23–11–2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

बी0 एस0 लगवाल,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत श्री बी0 एस0 लगवाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

Shrimati Dorjee Dolma w/o Shri Kalsang Lakpa, r/o B. T. S. Bir, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Shrimati Dorjee Dolma w/o Shri Kalsang Lakpa, r/o B. T. S. Bir, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र Tenzin Legden का जन्म दिनांक 20–4–1989 को महाल बीड़ में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 23–1–2010 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 16–12–2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। बी0 एस0 लगवाल,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत श्री बी0 एस0 लगवाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

Shrimati Tashi Tsamchoe w/o Shri Ngawang Kunchok, Nangchen Division Bir, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Shrimati Tashi Tsamchoe w/o Shri Ngawang Kunchok, Nangchen Division Bir, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री Tsering Paldon का जन्म दिनांक 19–9–1972 को महाल बीड़ में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 23–1–2010 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 16–12–2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। बी0 एस0 लगवाल,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत श्री बी0 एस0 लगवाल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

Shrimati Tsering Dolkar w/o Shri Tashi, r/o Tibetan Colony Bir, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Shrimati Tsering Dolkar w/o Shri Tashi, r/o Tibetan Colony Bir, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उसके भतीजे Sonam Gyaltso का जन्म दिनांक 28–3–2000 को महाल बीड़ में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 18–1–2010 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 18–12–2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

बी0 एस0 लगवाल,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत श्री बी0 एस0 लगवाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती सुदर्शना देवी पत्नी श्री सीता राम, निवासी मलेहड़, डा0 कुदैल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती सुदर्शना देवी पत्नी श्री सीता राम, निवासी मलेहड़, डा0 कुदैल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उसके पति श्री सीता राम की मृत्यु दिनांक 10–8–1972 को महाल मलेहड़ में हुई थी परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 18–1–2010 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त मृत्यु का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 16–12–2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

बी0 एस0 लगवाल,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री बी0 एस0 लगवाल, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

श्री ध्रुव कुमार पुत्र श्री धम्बा राम, निवासी दाड़ी, डा0 महालपट्ट, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री ध्रुव कुमार पुत्र श्री धम्बा राम, निवासी दाड़ी, डा0 महालपट्ट, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र गुजारा है कि उसके पुत्र अशीष कुमार का जन्म दिनांक 8–11–2000 को महाल दाड़ी में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अब पंजीकरण करने के आदेश दिए जाएं।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त पंजीकरण के बारे में कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 18–1–2010 को सुबह 10.00 बजे इस न्यायालय में असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा उपरोक्त जन्म का पंजीकरण करने के आदेश दे दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई एतराज न सुना जाएगा।

आज दिनांक 16–12–2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

बी0 एस0 लगवाल,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

———————

CHANGE OF NAME

I, Prem Singh *alias* Jondu have changed my name to Prem Singh *alias* Manohar Lal.

In future in all the correspondence and proceedings I may be known as Prem Singh *alias* Manohar Lal.

Prem Singh *alias* Manohar Lal,
V.P.O. Mahakal, Tehsil Baijnath,
District Kangra (H. P.).

———————

ब अदालत श्री देश राज शर्मा, नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नं0–13 / NT तिथि दायर–12–11–09 तिथि पेशी–3–12–09

किस्म मुकद्दमा : शादी दर्ज करवाने बारे।

श्री वसाखी राम उपनाम भरत सिंह पुत्र अमि चन्द, वासी महाल ढखर, मौजा मझीण, त0 खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

बनाम

आम जनता

श्री वसाखी राम उपनाम भरत सिंह पुत्र अमि चन्द, वासी महाल ढखर, मौजा मझीण, त0 खुण्डियां ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र पेश किया है कि शादी दिनांक 12–3–09 को मुताबिक हिन्दू रीति–रिवाज के श्रीमती कमला देवी पुत्री कली राम, वासी गांव व डाकखाना सैंज, तहसील चौपाल, जिला शिमला के साथ दिनांक 12–3–09 को की हुई है और तबसे बतौर पति–पत्नी आपस में रह रहे हैं। परन्तु गलती से शादी का इन्द्राज अभिलेख पंचायत में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः आम जनता को इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को शादी दर्ज करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 3–2–2010 को 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजिर अदालत होकर पेश करे अन्यथा सचिव को शादी दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 15–12–09 को जारी हुआ।

मोहर।

देश राज शर्मा,
नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी खुण्डियां,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत श्री यशोधन सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नम्बर / ई0एम0 / 09 तारीख पेशी 21–1–2010

श्री सूरमी लाल पुत्र श्री जय किशन, निवासी गांव राजगीर, डाकघर भोग्रवां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा . .प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय : दरख्वासत बराये दर्ज करने जन्म तिथि जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री सूरमी लाल पुत्र श्री जय किशन, निवासी गांव राजगीर, डाकघर भोग्रवां, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र गुजारा है कि उसके लड़के भावुक कौंडल का जन्म दिनांक 7–11–2005 को गांव राजगीर में हुआ था जिसकी जन्म तिथि वह अज्ञानतावश ग्राम पंचायत भोग्रवां के अभिलेख में दर्ज न करवा सका था, अब दर्ज की जावे।

अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 21–1–2010 को या इससे पूर्व प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत को उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 9–12–2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

यशोधन सिंह ठाकुर,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी इन्दौरा,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत श्री यशोधन सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 78 / तह0 / 2006

1. श्री राज कुमार, 2. श्री सुशील कुमार पुत्र व, 3. सुनीता देवी पुत्री व, 4. आशा देवी विध्वा रतन चन्द पुत्र श्री राम लाल, निवासी भपू, तहसील इन्दौरा।

बनाम

1. श्री कर्म चन्द, 2. श्री जय किशन पुत्र, 3. प्रकाशो देवी पुत्री राम चन्द पुत्र फगन, वासी भपू, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 . .
प्रत्यार्थीगण।

विषय : प्रार्थना–पत्र तकसीम अराजी खाता नं0 5 खतौनी नं0 16–17, खसरा किता रकवा तादादी 1–35–06 है0 वरूये जमाबन्दी साल 2002–03 महाल व मौजा भपू, तहसील इन्दौरा।

इश्तहार राजपत्र

उपरोक्त प्रार्थीगण ने इस अदालत में भूमि खाता नं0 5, खतौनी नं0 16–17, खसरा नम्बरान किता 4, रकवा तादादी 1–35–06 है0 वाक्या महाल व मौजा भपू की तकसीम हेतु प्रार्थना–पत्र दिया है जिसमें प्रतिवादी नं0 3 श्रीमती प्रकाशो देवी को इस अदालत द्वारा बार–बार समन जारी किये गये लेकिन समन की तामील न हुई और अदालत को विश्वास हो चुका है कि उक्त प्रत्यार्थी की समन की तामील साधारण तरीके से नहीं हो सकती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा प्रतिवादी नं0 3 को सूचित किया जाता है कि वह उक्त तकसीम बारे अपना पक्ष / उजर प्रस्तुत करने के लिए अदालत हजा में दिनांक 29–12–2009 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। गैर हाजिर रहने की सूरत में नियमानुसार आपके विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 5–12–2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

यशोधन सिंह ठाकुर,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी इन्दौरा,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत श्री यशोधन सिंह ठाकुर, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

केस नम्बर ई0एम0 / 09 तारीख पेशी 6–1–2010

श्री रविन्दर कुमार पुत्र श्री केसर सिंह, निवासी राजगीर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश . .प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय : दरख्वासत बराये दर्ज करने जन्म तिथि जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री रविन्दर कुमार पुत्र श्री केसर सिंह निवासी राजगीर, तहसील इन्दौरा, जिला कांगड़ा, ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र गुजारा है कि उसके लड़के सूरज कुमार पुत्र श्री रविन्दर कुमार का जन्म दिनांक 11–5–2006 को गांव राजगीर में हुआ था जिसकी जन्म तिथि वह अज्ञानतावश ग्राम पंचायत भोग्रवां के अभिलेख में दर्ज न करवा सका था, अब दर्ज की जावे।

अतः इस इश्तहार राजपत्र के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम व जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 6–1–2010 को या इससे पूर्व असालतन या वकालतन इस अदालत में हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत को उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 9–12–2009 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

यशोधन सिंह ठाकुर,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी इन्दौरा,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

———————

In the Court of Marriage Officer-cum-**Sub-Divisional Magistrate, Sadar Mandi, District Mandi, Himachal Pradesh**

In the matter of :

1. Shri Paras Malhotra s/o Shri Parma Nand Malhotra, r/o H. No. 286/1, Jawahar Nagar, Mandi Town, District Mandi, H. P.

2. Smt. Chetna Kapoor d/o Shri Rajinder Parshad Kapoor, r/o H. No. 210/2, OPurani Mandi, Mandi Town, District Mandi, H. P. (At present wife of Shri Paras Malhotra s/o Shri Parma Nand Malhotra, r/o H. No. 286/1, Jawahar Nagar, Mandi Town, District Mandi, H. P.). . . *Applicants.*

Versus

General public

Subject.—Application for registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Paras Malhotra s/o Shri Parma Nand Malhotra, r/o H. No. 286/1, Jawahar Nagar, Mandi Town, District Mandi, H. P. and Smt. Chetna Kapoor d/o Shri Rajinder Parshad Kapoor, r/o H. No. 210/2, OPurani Mandi, Mandi Town, District Mandi, H. P. (At present wife of Shri Paras Malhotra s/o Shri Parma Nand Malhotra, r/o H. No. 286/1, Jawahar Nagar, Mandi Town, District Mandi, H. P.). have filed an application alongwith affidavits in the Court of the undersigned under

section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 10-12-2009 according to Hindu rites and customs at Mandi Town, District Mandi, H. P. and they are living together as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 15th January, 2010 after that no objection will be entertained and marriage will be registered.

Issued today on 15th day of December, 2009 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Sadar Mandi, District Mandi (H.P.).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती सोबन देवी पत्नी स्व0 श्री पालडुब छेरिंग, गाव सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

. . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता, उप–महाल सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) . . फरीकदोयम।

दरख्वास्त जेर दफा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती सोबन देवी पत्नी स्व0 श्री पालडुब छेरिंग, गाव सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक आवेदन–पत्र मय शपथ–पत्र गुजारा है कि उसके पति का नाम सभी रिकार्ड में पालडुब छेरिंग है लेकिन मृत्यु रजिस्टर में प्रदीप कुमार नाम लिखा है जोकि गलत है, को सही करवाना चाहते हैं तथा पुत्र सुमन कुमार का जन्म 10–4–1991 को हुआ है लेकिन पंचायत रिकार्ड में 1–4–1991 दर्ज है जोकि गलत है, को सही 10–4–1991 दर्ज करवाना चाहते हैं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण जनता उप–महाल सांगला को सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थिया के मृतक पति का नाम ग्राम पंचायत सांगला के मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर व पुत्र सुमन कुमार का जन्म तिथि 10–4–1991 दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज स्वयं या किसी प्राधिकृत एजेंट के द्वारा अदालत में मिति 11–1–2010 तक प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाकर उपरोक्त नाम ग्राम पंचायत सांगला में पालडुब छेरिंग व जन्म तिथि 10–4–1991 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 11–12–2009 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –

कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला,
जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

श्री हीर सिंह पुत्र श्री भागपूर, गाव सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता, उप–महाल सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) . . फरीकदोयम।

दरख्वास्त जेर दफा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री हीर सिंह पुत्र श्री भागपूर, गाव सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक आवेदन–पत्र मय शपथ–पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री श्वेता कुशान का जन्म दिनांक 20–11–2000 को हुआ है लेकिन गलती से ग्राम पंचायत रिकार्ड में जन्म 20–11–1999 इन्द्राज हुआ है, को अब वह सही दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण जनता उप–महाल सांगला को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त जन्म ग्राम पंचायत सांगला में 20–11–2000 दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज स्वयं या किसी प्राधिकृत एजेंट के द्वारा अदालत में मिति 11–1–2010 तक प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाकर उपरोक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत सांगला में 20–11–1999 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 11–12–2009 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला,
जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

श्री कृष्ण प्रकाश पुत्र श्री गंगा दास, गाव सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता, उप–महाल सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) . . फरीकदोयम।

दरख्वास्त जेर दफा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री कृष्ण प्रकाश पुत्र श्री गंगा दास, गाव सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक आवेदन–पत्र मय शपथ–पत्र गुजारा है कि उसके पिता की मृत्यु दिनांक 19–1–1985 को हुई है लेकिन ग्राम पंचायत सांगला के रिकार्ड में मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में पंजीकरण नहीं करवाया गया है, को अब पंजीकरण करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण जनता उप–महाल सांगला को सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थी के मृतक पिता की मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत सांगला के मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज स्वयं या किसी प्राधिकृत एजेंट के द्वारा अदालत में मिति 11–1–2010 तक प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाकर उपरोक्त मृत्यु पंजीकरण ग्राम पंचायत के मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में पंजीकरण करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 11–12–2009 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला,
जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

श्री विकास कुमार पुत्र श्री मोहर सिंह, गाव किल्बा, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता, उप–महाल किल्बा, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) . . फरीकदोयम।

दरख्वास्त जेर दफा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री विकास कुमार पुत्र श्री मोहर सिंह, गाव किल्बा, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक आवेदन–पत्र मय शपथ–पत्र गुजारा है कि उसका नाम विकास कुमार है लेकिन अन्य कागजात पंचायत रिकार्ड व रिकार्ड माल में गीता राम गलत इन्द्राज हुआ है, को अब वह सही नाम विकास कुमार दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण जनता उप–महाल सांगला को सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त नाम ग्राम पंचायत किल्बा में विकास कुमार दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज स्वयं या किसी प्राधिकृत एजेंट के द्वारा अदालत में मिति 11–1–2010 तक प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाकर उपरोक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत किल्बा में विकास कुमार दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 11–12–2009 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला,
जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

श्री प्रेम सागर पुत्र श्री डन्डुब राम, गाव सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश
. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता, उप–महाल सांगला, जिला किन्नौर (हि0 प्र0) . . फरीकदोयम।
दरख्वास्त जेर दफा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री प्रेम सागर पुत्र श्री डन्डुब राम, गांव सांगला, तहसील सांगला, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक आवेदन–पत्र मय शपथ–पत्र गुजारा है कि उसकी पुत्री का नाम दस्तावेजों पंचायत रिकार्ड व स्कूल प्रमाण–पत्र में अतिथ्य है, अब इस नाम की जगह पर स्मृति चैथा बदलना चाहता हूं।

अतः इस इश्तहार के माध्यम से सर्वसाधारण जनता उप–महाल सांगला को सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थी की पुत्री का नाम सभी दस्तावेजों में स्मृति चैथा दर्ज करने बारे किसी भी व्यक्ति को कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज स्वयं या किसी प्राधिकृत एजेंट के द्वारा अदालत में मिति 11–1–2010 तक प्रस्तुत कर सकता है अन्यथा एकतरफा कार्रवाई अमल में लाई जाकर उपरोक्त नाम सभी दस्तावेजों में स्मृति चैथा दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 11–12–2009 को हस्ताक्षर मेरे व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी, सांगला,
जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

————

ब अदालत उप–मण्डल दण्डाधिकारी, कल्पा स्थित रिकांग–पिओ, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश

श्री कमल किशोर पुत्र श्री राम भगत, निवासी ग्राम बारंग, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री कमल किशोर पुत्र श्री राम भगत, निवासी ग्राम बारंग, तहसील कल्पा, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश ने एक दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत इस अदालत में गुजारी है कि प्रार्थी की पुत्री कुमार रिया पुत्री श्री कमल किशोर, निवासी ग्राम बारंग का जन्म दिनांक 31–10–2007 को हुआ है, लेकिन अनभिज्ञता के कारण अपनी पुत्री कुमारी रिया की जन्म तिथि पंचायत अभिलेख बारंग, तहसील कल्पा में दर्ज नहीं करवा सका तथा अब अपनी पुत्री की जन्म तिथि जो 31–10–2007 है, को दर्ज कराना चाहता है। अतः प्रार्थी की उपरोक्त पुत्री की जन्म तिथि पंचायत अभिलेख बारंग में दर्ज करने बारे राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में इश्तहार जारी किया जाता है कि किसी व्यक्ति विशेष को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 18–1–2010 तक अदालत हजा में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज प्रस्तुत करे अन्यथा ग्राम पंचायत बारंग, तहसील कल्पा को प्रार्थी की पुत्री कुमारी रिया का जन्म दर्ज करने का आदेश जारी किया जाएगा।

आज दिनांक 17–12–2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
उप–मण्डल दण्डाधिकारी, कल्पा स्थित रिकांग–पिओ,
जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश।

————

ब अदालत श्री कली राम, कार्यकारी दण्डाधिकारी, कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री गिरजा नन्द पुत्र श्री गोपू राम, निवासी सनैल, परगना उबादेश, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र बाबत दर्ज करने नाम पुत्र।

श्री गिरजा नन्द पुत्र श्री गोपू राम ने अदालत हजा में प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र व सम्बन्धित अन्य दस्तावेज सहित प्रस्तुत किया है कि उसके पुत्र रोहित का जन्म दिनांक 30–11–1995 में गांव सनैल में हुआ है जिसका नाम सम्बन्धित पंचायत में अज्ञानता की वजह से दर्ज न करवा सका। अब दर्ज करने की गुजारिश की है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को रोहित पुत्र श्री गिरजा नंद, निवासी सनैल के नाम को पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह मिति 18–1–2010 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत प्रातः 10.00 बजे आकर उजर व एतराज पेश कर सकता है अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उसके पश्चात् कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 17–12–2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। कली राम,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री बी0 एस0 गर्ग, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

हरबन्स कौर पुत्री श्री प्रताप सिंह, निवासी नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना–पत्र हरबन्स कौर पुत्री श्री प्रताप सिंह, निवासी नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर हि0 प्र0 ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनकी अपनी जन्म तिथि 2–6–1950 है, का नाम नगर पालिका नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं या अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 4–1–2010 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करे बसूरत दीगर हरबन्स कौर का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जावेंगे।

आज दिनांक 3–12–2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। बी0 एस0 गर्ग,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री आर0 सी0 कटोच, तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

लेख राज पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी महाल डोह, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र बाबत जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

लेख राज पुत्र श्री ज्ञान चन्द, निवासी महाल डोह, तहसील बंगाणा, जिला ऊना (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है कि उसकी पुत्री का नाम कुमारी रंजू बाला है, जिसकी जन्म तिथि 10–9–2004 है। अज्ञानतावश वह अपनी पुत्री की जन्म तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज न करवा सके हैं। जिसे दर्ज करने के आदेश पारित किए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार मुनादी हि0 प्र0 राजपत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म तिथि ग्राम पंचायत के रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह निर्धारित तिथि पेशी दिनांक 6–1–2010 को इस न्यायालय में प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन उपस्थित आकर अपनी आपत्ति या एतराज प्रस्तुत कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 03–12–2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर। आर0 सी0 कटोच,
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील बंगाणा, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

संख्या: एस.एम.एस.–1 / 2009–10–आर.डी.डी. तारीख शिमला–9 21 दिसंबर, 2009

अधिसूचना

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम, हिमाचल प्रदेश (पारदर्शिता, शिकायत निवारण और सामाजिक संपरीक्षा) नियम, 2009 का प्रारूप, राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार, अधिसूचना संख्या एस.एम.एस.–1 / 2009–10–आर.डी.डी. तारीख 22 अगस्त, 2009 द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 24 अगस्त, 2009 को इससे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था;

और नियत अवधि के दौरान इस निमित्त कोई भी आक्षेप / सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है;

अत: हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्या 42) की धारा 32 के साथ पठित धारा 23 की उपधाराओं (3), (5) और (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनातीं हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार :–

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम, हिमाचल प्रदेश (पारदर्शिता, षिकायत निवारण और सामाजिक संपरीक्षा) नियम, 2009 है।

(2) इनका विस्तार, नगरपालिका द्वारा प्रषासित क्षेत्रों के सिवाए, सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेष राज्य पर होगा।

2. परिभाषाएँ:–

(1) इन नियमों में जब तक कि कोई बात, विषय या सन्दर्भ में विरूद्ध न हो:–

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) अभिप्रेत है;

(ख) "खण्ड कार्यक्रम अधिकारी" से खण्ड विकास अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "विभाग" से हिमाचल प्रदेश सरकार का ग्रामीण विकास विभाग अभिप्रेत है;

(घ) "जिला कार्यक्रम समन्वयक" से सम्बद्ध जिला का उपायुक्त अभिप्रेत है;

(ङ) "ग्राम सभा" से ग्राम पंचायत क्षेत्र में समाविष्ट ग्राम अथवा ग्रामों से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली में

रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से गठित निकाय अभिप्रेत है;

(च) "नोडल अधिकारी" से राज्य सरकार के सम्बद्ध विभाग द्वारा नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है, जो अधिनियम के अधीन विरचित किसी स्कीम का कार्यान्वयन अभिकरण है;

(छ) "अभिलेख" से निम्नलिखित अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत है:–

(i) कोई दस्तावेज़, हस्तलिपि (पाण्डुलिपि) और फाईल;

(ii) कोई माईक्रोफिल्म, माईक्रोफिशें और दस्तावेज़ की प्रतिरूप प्रति;

(iii) ऐसी माईक्रोफिल्म (चाहे विस्तारित हो या नहीं) में सम्मिलित प्रतिबिंब या प्रतिबिंबों के कोई प्रत्युत्पादन; और

(iv) कम्प्यूटर या किसी अन्य उपाय (युक्ति) द्वारा प्रस्तुत कोई अन्य सामग्री;

(ज) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(झ) "सचिव" से सम्बद्ध ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् के सचिव के कृत्यों के निर्वहन के लिए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) की धारा 133 और धारा 134 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त, किसी भी नाम से पुकारा जाने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ञ) "सामाजिक संपरीक्षा समिति" से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत हैं जो ग्राम पंचायत स्तर पर सामाजिक संपरीक्षा को संचालित / सुकर करते हैं; और

(ट) "राज्य आयुक्त" से निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं, क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उनके अधिनियम में हैं।

अध्याय–1
पारदर्शिता

3. राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम की सामान्य पारदर्शिता:–

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, इन नियमों के नियम 4 के उप–नियम (2) के अनुसार, निम्नलिखित दस्तावेज़ों से सम्बन्धित सूचना के पूर्व–सक्रिय प्रकटन के माध्यम से, सूचना पटल पर प्रदर्शित करके समस्त सुसंगत सूचना को लोगों तक उपलब्ध करवा के, सम्पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी:–

(1) ग्राम पंचायत स्तर पर पूर्व सक्रिय प्रकटन में

निम्नलिखित सम्मिलित होंगे;–

(i) रजिस्ट्रीकरण आवेदनों का संक्षिप्त विवरण;

(ii) जॉब कार्ड रजिस्टर का संक्षिप्त विवरण;

(iii) संदाय के लिए देय मस्टर रोलों का संक्षिप्त सार;

(iv) बेरोज़गारी भत्ता सूचियाँ;

(v) परिसम्पत्तियों की सूची;

(vi) सतर्कता और अनुश्रवण समिति के सदस्यों की सूची;

(vii) माप बुक के संक्षिप्त विवरण;

(viii) अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित कोई अन्य दस्तावेज़ या सूचना।

(2) अन्य स्तरों पर पूर्व सक्रिय प्रकटन में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे;–

(i) जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा तैयार किए गए श्रम बजट का संक्षिप्त सार;

(ii) तकनीकी और प्रशासनिक आक्कलनों सहित परियोजनाओं के शेल्फ के संक्षिप्त सार;

(iii) वार्षिक योजना का संक्षिप्त सार;

(iv) रोज़गार गारंटी निधि लेखा विवरण;

(v) वार्षिक कार्य योजना तथा बजट प्रस्ताव (ए0डब्ल्यू0पी0बी0) का संक्षिप्त सार;

(vi) वित्तीय संपरीक्षा रिपोर्टों (तथा की गई कार्रवाई रिपोर्टों) का संक्षिप्त सार;

(vii) सामाजिक संपरीक्षा रिपोर्ट (तथा की गई कार्रवाई रिपोर्टों) का संक्षिप्त सार;

(viii) उपयोग प्रमाण पत्र;

(ix) समापन प्रमाण पत्र;

(x) तकनीकी आक्कलनों की सूची;

(xi) शिकायत निवारण रजिस्टर के संक्षिप्त विवरण;

(xii) संचालित की गई जांचों की सूची;

(xiii) मूल्यांकन रिपोर्टों का संक्षिप्त विवरण;

(xiv) निरीक्षण रिपोर्टों का संक्षिप्त विवरण; और

(xv) अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन से सम्बन्धित कोई अन्य दस्तावेज़ और सूचना।

4. पूर्व सक्रिय प्रकटन:–

(1) यथास्थिति, ग्राम पंचायत की दशा में, ग्राम रोज़गार सेवक, पंचायत समिति या जिला परिषद् की दशा में सचिव, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभाग की दशा में नोडल अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि रजिस्ट्रीकरण, जारी किए गए जॉब कार्डों की संख्या, कार्य की प्राप्ति की मांग, उन लोगों की सूची जिन्होंने कार्य मांगा हो और उपलब्ध करवाए गए रोज़गार के दिनों की

संख्या, उन पात्र व्यक्तियों की सूची जिन्हें अधिनियम के अधीन रोज़गार उपलब्ध नहीं करवाया गया तथा जिन्हें बेकारी भत्ता संदत्त किया गया था, प्राप्त और व्यय की गई निधियों के ब्यौरे, किए गए संदायों के ब्यौरे, लेखे, मंजूर संकर्मों की सूची और ग्राम पंचायतों में उनकी प्राथमिकता का क्रम, प्रारम्भ किए गए संकर्म, संकर्मों की लागत और उन पर व्यय के ब्यौरे, कार्य की अवधि, सृजित कार्य दिवस, स्थानीय सतर्कता समितियों की रिपोर्टें, तथा मस्टर रोलज़ और सम्पूर्ण किए गए प्रत्येक संकर्म के बिल का समेकन के अद्यतन आँकड़े जनता के लिए बनाए।

(2) उप नियम (1) में वर्णित दस्तावेजों और सूचना का पूर्व सक्रिय प्रकटन निम्न प्रकार से किया जाएगा;—

(i) सूचना पटल पर प्रदर्शित करके;

(ii) प्रकाशन करके;

(iii) ग्राम सभा की सामाजिक संपरीक्षा, फोरम के समक्ष प्रदर्शित करके या को प्रस्तुत करके; और

(iv) इंटरनैट पर प्रविष्टि करके।

5. लेखे और अभिलेख निरीक्षण के लिए रखना:—

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम से सम्बन्धित समस्त लेखे और अभिलेख, बिना लागत के जनता की छानबीन के लिए उपलब्ध करवाए जाएंगे।

अध्याय —2
शिकायत निवारण

6. शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति:—

राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम के कार्यान्वयन की बाबत, यथास्थिति, खण्ड स्तर पर खण्ड कार्यक्रम अधिकारी और जिला स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्राप्त शिकायतों के लिए शिकायत निवारण अधिकारी होगा।

7. शिकायत दाखिल करने के लिए प्रकिया:—

(1) खण्ड कार्यक्रम अधिकारी और जिला कार्यक्रम समन्वयक के कार्यालय में एक शिकायत रजिस्टर अनुरक्षित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम से सम्बन्धित शिकायतों को प्रस्तुत करने को सुकर बनाने हेतु, एक शिकायत पेटी भी स्थापित की जाएगी।

(2) कोई भी व्यक्ति सम्बद्ध शिकायत निवारण अधिकारी को या तो लिखित में या मौखिक रूप से शिकायत कर सकेगा, जो चाहे लिखित में या मौखिक रूप से प्राप्त शिकायत को, शिकायत रजिस्टर में प्रविष्ट करेगा तथा समस्त शिकायतें सम्यक् रूप से अभिस्वीकृत की जाएगी।

8. शिकायतों के निपटारे के लिए प्रकिया:–

नियम 7 के उपनियम (1) के अधीन प्राप्त किसी शिकायत का, सम्बद्ध शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा, स्थल सत्यापन और निरीक्षण के माध्यम से जाँच द्वारा, प्राप्ति की तारीख से सात कार्य दिवसों के भीतर निपटारा किया जाएगा, जो शिकायतकर्ता को उसमें की गई कार्रवाई को लिखित में भी सूचित करेगा।

9. अपील:–

(1) यदि शिकायतकर्ता नियम 8 के अधीन की गई कार्रवाई से सहमत नहीं होता है, तो वह सम्बद्ध शिकायत निवारण अधिकारी के आदेश और कार्यवाहियों के विरूद्ध निम्नलिखित प्राधिकारियों को, शिकायत निवारण अधिकारी की कार्यवाहियों के आदेश की तारीख से पैंतालीस दिन के भीतर अपील कर सकेगा:–

(i) खण्ड कार्यक्रम अधिकारी के आदेश और कार्यवाहियों के विरूद्ध:	जिला कार्यक्रम समन्वयक
(ii) जिला कार्यक्रम समन्वयक के आदेश और कार्यावाहियों के विरूद्ध:	राज्य आयुक्त (नरेगा)।

(2) अपील प्राधिकारी, अपील दाखिल करने की तारीख से एक मास के भीतर अपील का निपटारा करेगा।

10. शिकायतों की मानीटरिंग हेतु प्रक्रिया:–

(1) शिकायत निवारण अधिकारी, प्राप्त की गई शिकायतों और पूर्ववर्ती मास के दौरान उनके निपटारे की बाबत, मासिक रिपोर्ट तैयार करेगा।

(2) खण्ड कार्यक्रम अधिकारी, सम्बद्ध जिला कार्यक्रम समन्वयक को पश्चात्वर्ती मास के दसवें दिन तक मासिक रिपोर्ट की प्रति भेजेगा तथा जिला कार्यक्रम समन्वयक, सम्पूर्ण जिला की बाबत मासिक विवरण का संकलन करेगा और राज्य आयुक्त (नरेगा) को समेकित मासिक रिपोर्ट भेजेगा।

(3) जिला कार्यक्रम समन्वयक, उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई मासिक रिपोर्ट की प्रति, राज्य आयुक्त (नरेगा) को भेजेगा।

(4) राज्य आयुक्त (नरेगा), राज्य में शिकायतों के निपटारे को मॉनीटर करने के लिए राज्य स्तर का अधिकारी होगा।

अध्याय–3
सामाजिक संपरीक्षा

11. सामाजिक संपरीक्षा समिति:–

(1) ग्राम सभा, इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से और उसके तत्पश्चात् पंचायती राज निकायों के प्रत्येक साधारण चुनाव के पश्चात्, अपनी प्रथम सामान्य बैठक में सहमति से, नौ व्यक्तियों से अन्यून, जो ग्राम पंचायत के पदाधिकारी नहीं हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम की सामाजिक संपरीक्षा को संचालित करने और सुकर बनाने के लिए, एक सामाजिक संपरीक्षा समिति गठित करेगी:

परन्तु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन गठित सतर्कता समिति के समस्त सदस्यों को, सामाजिक संपरीक्षा समिति में सम्मिलत किया जाएगा:

परन्तु यह और कि सामाजिक संपरीक्षा समिति, कम से कम दो ऐसे कर्मकारों, जिन्होंने उसी ग्राम पंचायत की राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम के अधीन चालू/पूर्ववर्ती संकर्म में कार्य किया हो, से गठित होगी:

परन्तु यह और कि सामाजिक संपरीक्षा समिति में एक तिहाई से अन्यून सदस्य महिलाएं होंगी।

(2) यथास्थिति, पंचायत सचिव या पंचायत सहायक, सामाजिक संपरीक्षा समिति का सदस्य सचिव होगा।

(3) सामाजिक संपरीक्षा समिति, इसके गठन के पश्चात्, अपनी प्रथम बैठक में इसके सदस्यों में से एक अध्यक्ष का चुनाव करेगी।

(4) सामाजिक संपरीक्षा समिति, प्रत्येक वर्ष, कम से कम चार बैठकें करेगी।

(5) ग्राम पंचायत की बैठकों में उपस्थित होने के लिए ग्राम पंचायत के सदस्य की बाबत, वर्ष की प्रत्येक तिमाही में अधिकतम दो बैठकों के अध्यधीन, ऐसी दर पर बैठक फीस संदत्त की जाएगी, जैसी हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित की जाए।

12. सामाजिक संपरीक्षा की समयावधि:–

सामाजिक संपरीक्षा समिति, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक वर्ष में हुई ग्राम सभा की चार बैठकों में, राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी स्कीम की सामाजिक संपरीक्षा का संचालन करेगी।

13. सामाजिक संपरीक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षण:— सामाजिक संपरीक्षा समिति के सदस्यों को, राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर इस निमित्त जारी आदेशों, कार्यालय ज्ञापनों और कार्यकारी अनुदेशों के अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा।

14. सामाजिक संपरीक्षा के संचालन हेतु कदम:—

(1) ग्राम रोजगार सेवक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह सामाजिक संपरीक्षा समिति की बैठक की तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व, सामाजिक संपरीक्षा समिति को निम्नलिखित दस्तावेज / सूचना उपलब्ध करवाएगा:—

(क) तकनीकी आकलन और मन्जूरी सहित, ग्राम पंचायत में पूर्ण किए गए संकर्मों के कार्य वार / स्थान वार ब्यौरे;

(ख) इन संकर्मों के लिए जारी किए गए मस्टर रोलज़ के ब्यौरे;

(ग) संकर्मों के निष्पादन के लिए क्रय सामग्री, सम्बन्धित बिल और वॉऊचर सहित उपयोग की गई सामग्री के ब्यौरे;

(घ) तकनीकी आकलन और मन्जूरी सहित, ग्राम पंचायत में चालू संकर्मों के कार्य वार / स्थान वार ब्यौरे;

(ङ) मांगे गए रोज़गार की गृहस्थी के तिमाही ब्यौरे, प्रत्येक गृहस्थी को उपलब्ध करवाए गए रोज़गार के दिनों की संख्या और संदत्त की गई मजदूरी के ब्यौरे; और

(च) सामाजिक संपरीक्षा समिति द्वारा मांगा गया कोई अन्य दस्तावेज / सूचना।

(2) सामाजिक संपरीक्षा समिति, अपनी बैठकों में ग्राम रोज़गार सेवक द्वारा, इसको उपलब्ध करवाए गए समस्त दस्तावेजों और सूचना को सत्यापित करेगी।

(3)सामाजिक संपरीक्षा समिति, इसको प्राप्त दस्तावेज़ों / सूचना को सत्यापित करने और छानबीन करने के पश्चात्, इसके निष्कर्षों और सम्प्रेक्षणों को दर्शाते हुए एक रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसे ग्राम सभा के सदस्यों की सूचना के लिए, ग्राम सभा की पश्चात्वर्ती बैठक में सार्वजनिक रूप से पढ़ा जाएगा और उनके विचारों, सुझावों या आक्षेपों को आमन्त्रित किया जाएगा।

(4) सामाजिक संपरीक्षा समिति, ग्राम सभा के समक्ष इसके सारांश को पढ़ कर पूर्ववर्ती सामाजिक संपरीक्षा से सम्बन्धित रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई को भी प्रस्तुत करेगी। किसी विसम्मति / किन्हीं आक्षेपों को, ग्राम सभा की बैठक के कार्यवृत में सम्बोधित और अभिलिखित किया जाएगा।

(5) सामाजिक संपरीक्षा सार्वजनिक सहभागिता के लिए खुली होगी। ग्राम सभा और सामाजिक संपरीक्षा समिति के अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति / समूह / गैर सरकारी संगठन, सामाजिक संपरीक्षा की कार्यवाहियों में हस्तक्षेप के बिना, पर्यवेक्षक के रूप में, सामाजिक संपरीक्षा में उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात होगा।

15. सामाजिक संपरीक्षा के संचालन और सामाजिक संपरीक्षा के निष्कर्ष पर की गई कार्रवाई में खण्ड कार्यक्रम अधिकारी / जिला कार्यक्रम समन्वयक का उत्तरदायित्वः–

(1) खण्ड कार्यक्रम अधिकारी, खण्ड स्तर पर, समय पर सामाजिक संपरीक्षा और अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) जिला कार्यक्रम समन्वयक यह सुनिश्चित् करेगा कि सामाजिक संपरीक्षा को समय पर किया गया है और उस पर तद्नुसार तुरन्त कार्रवाई की गई है।

(3) खण्ड कार्यक्रम अधिकारी, सामाजिक संपरीक्षा समिति, ग्राम समुदाय के साथ–साथ श्रमिकों सहित समस्त सम्बन्धित लोगों को, ग्राम सभा की बैठक में उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए, अग्रिम में, लिखित में नोटिस जारी करके सूचित करेगा।

(4) सम्बद्ध खण्ड कार्यक्रम अधिकारी, ग्राम सभा की बैठक में सामाजिक संपरीक्षा करने के एक मास के भीतर, सामाजिक संपरीक्षा के निष्कर्ष पर की गई कार्रवाई प्रारम्भ करेगा।

(5) अधिनियम के उल्लंघन से सम्बन्धित समस्त निष्कर्षों को, यदि कोई हैं, शिकायतें समझा जाएगा और निष्कर्ष में किसी विवाद के लिए जांच संचालित की जाएगी।

(6) निधियों के किसी दुर्विनियोग के लिए गलती करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकार दुर्विनियोग की गई निधियों की वसूली उससे की जाएगी।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव (ग्रामीण विकास)
हिमाचल प्रदेश सरकार।

(Authoritative English text of this Department Notification Number SMS-1/2009-10-RDD-Shimla-9, dated the 21st December, 2009 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India)

NO.SMS-1/2009-10-RDD- Dated: Shimla-171 009, the 21st December, 2009.

Notification

Whereas the Draft National Rural Employment Guarantee Scheme, Himachal Pradesh (Transparency, Grievance Redressal and Social Audit) Rules, 2009 were published in Rajpatra, Himachal Pradesh on 24th August, 2009 vide notification NO.SMS-1/2009-10-RDD- dated 22nd August, 2009 for inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby as required under sub-section (1) of section 32 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005;

And whereas no objection/suggestion has been received in this behalf during the stipulated period;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred under sub-sections (3), (5) and (6) of section 23 read with section 32 of the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (Act No. 42 of 2005), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules for carrying out the purposes of the aforesaid Act, namely:-

1. Short title extent:-

(1) These rules may be called the National Rural Employment Guarantee Scheme, Himachal Pradesh (Transparency, Grievance Redressal and Social Audit) Rules, 2009.

(2) They shall extend to the whole of the State of Himachal Pradesh, except the areas administered by a municipality.

2. Definitions:-

In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:-

(a) "Act" means the National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005);

(b) "Block Programme Officer" means the Block Development Officer;

(c) "Department" means the Rural Development Department of the Government of Himachal Pradesh;

(d) "District Programme Coordinator" means the Deputy Commissioner of the concerned district;

(e) "Gram Sabhas" means a body consisting of persons registered in the electoral rolls relating to a village or villages comprised within the area of a Gram Panchayat;

(f) "Nodal Officer" means an Officer appointed by the concerned departments of the State Government, which is the implementing agency of any scheme framed under the Act;

(g) "Record" means and includes-

(i) any document, manuscript and file;

(ii) any microfilm, microfiche and facsimile copy of a document;

(iii) any reproduction of image or images embodied in such microfilm (whether enlarge or not); and

(iv) any other material produced by a computer or any other device;

(h) "section" means a section of the Act;

(i) "Secretary" means a person, by whatever name called, appointed under section 133 and sub-section (1) of section 134 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994) to discharge the functions of the Secretary of the Panchayat Samiti and the Zila Parishad concerned;

(j) "Social Audit Committee" means the persons who conduct/facilitate the Social Audit at Gram Panchayat level; and

(k) "State Commissioner" means the Director, Rural Development Department, Himachal Pradesh.

(2) The words and expressions used in these rules but not defined in these rules shall have the same meanings respectively as assigned to them in the Act.

Chapter-1
Transparency

3. General transparency of National Rural Employment Guarantee Act:-

Complete transparency shall be ensured in the process of administration and decision making, by giving people full access to all relevant information for fulfillment of the objectives of the National Rural Employment Scheme by way of the pro-active discloser of information relating to the following documents as per sub-rule(2) of rule 4 of these rules:-

(1) Pro-active disclosure at the Gram Panchayat Level shall include the following ,-

(i) summary of the Registration Applications;

(ii) summary of the Job Card Register;

(iii) abstracts of the muster rolls due for payment;

(iv) unemployment allowance lists;

(v) list of assets;

(vi) list of members of the Vigilance and Monitoring Committee;

(vii) measurement book summaries;

(viii) any other document or information relating to implementation of provisions of the Act.

(2) Pro-active disclosure at other levels shall include the following,-

(i) abstract of the labour budget prepared by the District Programme Co-ordinator;

(ii) abstracts of the Shelf of Projects with technical and administrative estimates;

(iii) abstract of Annual Plan;

(iv) employment Guarantee Fund account statement;

(v) abstract of the Annual Work Plan and Budget Proposal (AWPB);

(vi) abstract of Financial Audit Reports (and Action Taken Reports);

(vii) abstract of the Social Audit Report (and Action Taken Reports);

(viii) utilization Certificate;

(ix) completion Certificate;

(x) list of Technical Estimates;

(xi) summary of the Grievance Redressal Register;

(xii) list of Enquiries Conducted;

(xiii) summary of the Evaluation reports;

(xiv) summary of the Inspection reports; and

(xv) any other document or information relating to implementation of provisions of the Act.

(xvi)

4. Pro-active disclosure:-

(1) It shall be the duty of the Gram Rozgar Sewak in the case of Gram Panchayat, Secretary in the case of the Panchayat Samiti or Zila Parishad, Nodal Officer in the case of department of the Central Government or the State Government to make public the updated data on registration, number of job cards issued, demand for work received, list of people who have demanded work and the number of days of employment provided, list of eligible persons who could not be provided employment under the Act and were paid unemployment allowance, details of funds received and spent, details of payments made, accounts, list of works sanctioned and their order of priority within the Gram Panchayat, works started, cost of works and details of expenditure on it, duration of work, person-days generated, reports of local vigilance committees, and consolidation of muster rolls and bills of each work completed.

(2) The Pro-active disclosure of documents and information mentioned in in sub-rule (1) shall be made,-

(i) through displaying on notice board;
(ii) through publication;
(iii) through displaying or presenting at the Social Audit forums of the Gram Sabha; and
(iv) posting on the internet.

5. Accounts and record open to inspection:-

All accounts and records relating to NREGS shall be made available for public scrutiny free of cost.

Chapter-2
Grievance Redressal

6. Appointment of Grievance Redressal Officer:-

The Block Programme Officer at the Block level and the District Programme Coordinator at the district level, as the case may be, shall be the Grievance Redressal Officer for complaints received in respect of the implementation of NREGS.

7. Procedure for filing complaints:-

(1) There shall be maintained a complaint register in the office of the Block Programme Officer and District Programme Coordinator. In addition, a complaint box shall also be installed to facilitate submission of Complaints relating to NREGS.

(2) Any person may make complaint either in writing or orally to the concerned Grievance Redressal Officer who shall get the complaint, whether written or oral, entered in the complaint register and all the complaints shall be acknowledged.

8. Procedure for disposal of complaints:-

Any complaint received under sub-rule (1) of rule 7 shall be disposed of within seven working days from the date of receipt by inquiry through spot verification and inspection by the concerned Grievance Redressal Officer who shall also inform the complainant regarding the action taken in writing.

9. Appeal:-

(1) In case the complainant is not satisfied with the action taken under rule 8, he may file an appeal against the orders and proceedings of the Grievance Redressal Officer concerned to the following authorities within forty five days from the date of order of proceedings of the Grievance Redressal Officer:-

(i) Against the orders and proceedings of the Block Programme Officer	District Programme Coordinator
(ii) Against the orders and proceedings of the District Programme Coordinator	State Commissioner (NREGA)

(2) The Appellate Authority shall dispose of the appeal within one month from the date of filing of appeal.

10. Procedure for monitoring of complaints:-

(1) It shall be the duty of the Grievance Redressal Officer to prepare monthly report in respect of complaints received and disposed of by him during the preceding month.

(2) The Block Programme Officer shall send a copy of monthly report to the concerned District Programme Coordinator by 10th

day of subsequent month and the District Programme Coordinator shall compile the monthly statement in respect of whole of the district and send a consolidated monthly report to the State Commissioner (NREGA).

(3) The District Programme Coordinator shall send a copy of monthly report prepared under sub rule (1) to the State Commissioner (NREGA).

(4) The State Commissioner (NREGA) shall be the State Level Officer to monitor the disposal of complaints in the State.

Chapter: 3
Social Audit

11. **Social Audit Committee:-**

(1) The Gram Sabha, from the date of publication of these rules, and thereafter every general election of the Panchayat in its first general meeting, shall form by consensus one social audit committee consisting of not less than nine persons, who are not office bearers of the Gram Panchayat, to conduct and facilitate the social audit of NREGS:

Provided that all the members of vigilance committee formed under sub section (4) of section 7 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 shall be included in the social audit committee:

Provided further that the social audit committee shall consist of at least two workers who have worked in current/previous works under NREGS of the same Gram Panchayat:

Provided further that not less than one third members of Social Audit Committee shall be women.

(2) The Panchayat Secretary or Panchayat Sahayak, as the case may be, shall be the member secretary of the social audit committee.

(3) The social audit committee in its first meeting, after its constitution, shall elect amongst its members a Chairperson.

(4) The social audit committee shall hold at least four meetings in each year.

(5) There shall be paid a sitting fee at such rate as notified by the State Government from time to time in respect of member of Gram Panchayat meeting subject to maximum two meetings in each quarter of the year.

12. **Time period of social audit:-**

The social audit committee shall conduct social audit of NREGS in four Gram Sabha meetings required to be held in each year under the provisions of sub section (1) of section 5 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994.

13. **Training to the members of the Social Audit Committee:-**

Necessary training shall be imparted to the members of Social Audit Committee as per the orders, memos and executive instructions issued by the State Government from time to time.

14. **Steps for conduct of the social audit:-**

(1) It shall be the duty of the Gram Rozgar Sewak to provide the following documents/information to the social audit committee at least fifteen days before the date of meeting of the social audit committee :-

(a) work-wise/place-wise details of works completed in the Gram Panchayat alongwith work-wise technical estimation and sanction;

(b) details of muster-rolls issued against these works;

(c) details of material purchased for execution of works, material consumed alongwith the related bills/vouchers;

(d) work-wise/place-wise details of on-going works in the Gram Panchayat alongwith work-wise technical estimation and sanction;

(e) quarter-wise details of households demanded employment, provided employment number of days of employment provided to each household and details of wage payments made to each worker; or

(f) any other document/information sought by the social audit committee.

(2) The social audit committee in its meeting shall verify all documents and information provided to it by the Gram Rozgar Sewak.

(3) The social audit committee, after verifying and scrutinizing the documents/information received by it, shall prepare a report indicating therein its finding and observations, which shall be read out publicly in subsequent Gram Sabha meeting for the information of the Gram Sabha members and to invite their views, suggestions or objections.

(4) The social audit committee shall also put up action taken report relating to the previous Social Audit before the Gram Sabha by reading out its contents. Any dissent/objections shall be addressed and recorded in the minutes of the Gram Sabha meeting.

(5) The Social Audit shall be open to public participation. Any outside individual person/group/NGO apart from the Gram Sabha and Social Audit Committee shall be allowed to attend the Social Audit as observers without intervening the proceedings of the Social Audit.

15. **Accountability of Block Programme Officer / District Programme Coordinator in conducting social audit and action on the Social Audit findings:-**

(1) The Block Programme Officer shall be responsible for timely social audits and follow up action at Block level.

(2) The District Programme coordinator shall ensure that the social audits are convened and prompt action taken accordingly.

(3) The Block Programme Officer shall notify, in writing, to all concerned, including Social Audit Committee, labourers as well as village community, in advance to ensure that they are present in the Gram Sabha meeting.

(4) The Block Programme Officer concerned shall initiate action on the findings of the social audit within a month of convening of the social audit.

(5) All findings related to contravention of the Act shall be treated as complaints and enquiry shall be conducted for any dispute in

findings.

(6) Any fund deviations shall follow with an action against the concerned person and fund recovery shall be expedited.

By order

Principal Secretary (Rural Development)
to the Government of Himachal Pradesh.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित